₹ 10
www.kewalsachtimes.com
सितम्बर 2026

KEWAL SACH TIMES

A National Magazine

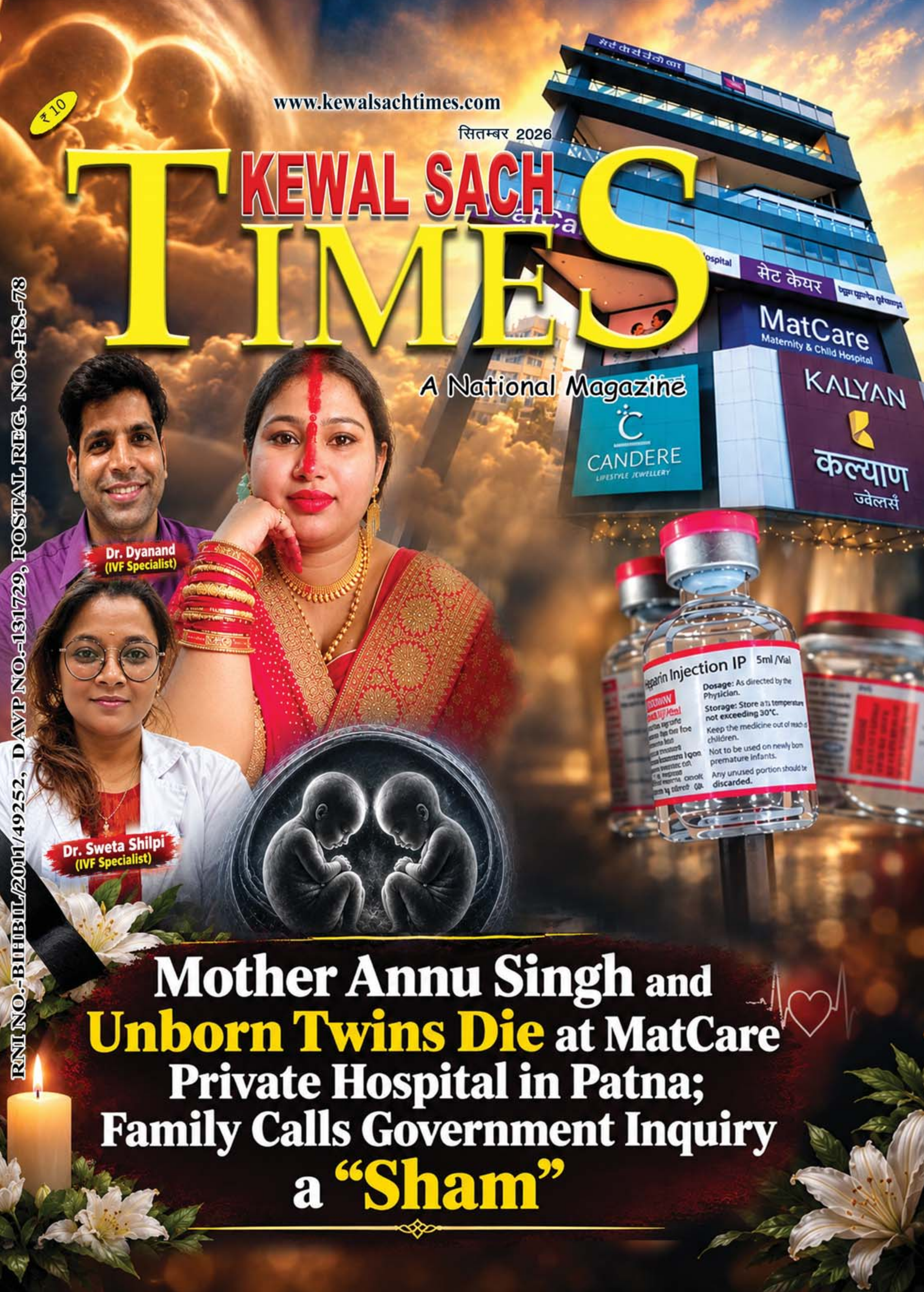

Mother Annu Singh and Unborn Twins Die at MatCare Private Hospital in Patna; Family Calls Government Inquiry a "Sham"

RNI NO.-BIHBIL/2011/49252, DAVP NO.-131729, POSTAL REG. NO.:-PS.-78

जन-जन की आवाज है केवल सच

केवल सच
हिन्दी मासिक पत्रिका

Kewalsachlive.in
वेब पोर्टल न्यूज
24 घंटे आपके साथ

Kewalsach news
खबर वहीं, जो केवल सच हो

केवल सच TIMES

आत्म-निर्भर बनने वाले युवाओं को सपोर्ट करें

आपका छोटा सहयोग, हमें मजबूती प्रदान करेगा

BHIM | UPI
G Pay Paytm

www.kewalsach.com www.kewalsachlive.in

-: सम्पर्क करें :-

पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, मकान संख्या-28/14,

कंकड़बाग, पटना (बिहार)-800020, मो०:-9431073769, 9308815605

जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ

विवेक ओबेरॉय
03 सितम्बर 1976

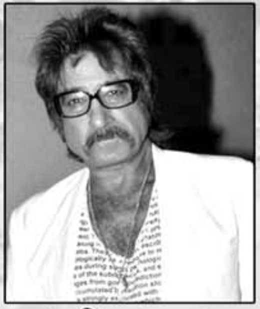

शक्ति कपूर
03 सितम्बर 1952

ऋषि कपूर
04 सितम्बर 1952

यशवंत सिन्हा
06 सितम्बर 1937

स्व० आशा भोसले
08 सितम्बर 1933

अक्षय कुमार
09 सितम्बर 1967

रामजेठ मलानी
10 सितम्बर 1923

महिमा चौधरी
13 सितम्बर 1973

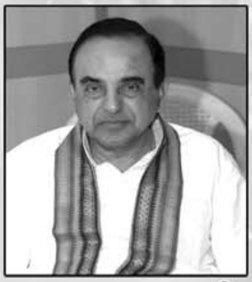

सुब्रमण्यम स्वामी
15 सितम्बर 1939

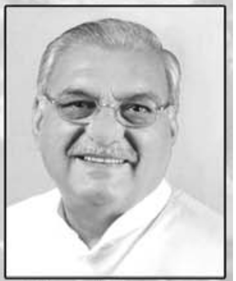

भूपिंदर सिंह हुड्डा
15 सितम्बर 1947

पी. चिदम्बरम
16 सितम्बर 1945

नरेन्द्र मोदी
17 सितम्बर 1950

महेश भट्ट
20 सितम्बर 1948

करीना कपूर
21 सितम्बर 1980

प्रेम चोपड़ा
23 सितम्बर 1935

कुमार सानू
23 सितम्बर 1957

स्व० मनमोहन सिंह
26 सितम्बर 1932

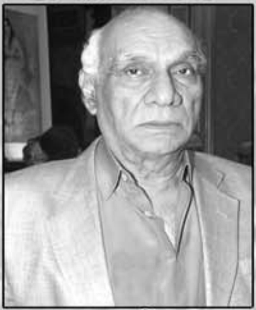

यश चोपड़ा
27 सितम्बर 1932

स्व० लता मंगेसकर
28 सितम्बर 1929

रणवीर कपूर
28 सितम्बर 1982

KEWAL SACH TIMES

A National Magazine

Regd. Office :-
East Ashok, Nagar, House No.-28/14, Road No.-14, kankarbagh, Patna- 8000 20 (Bihar) Mob.-09431073769,
E-mail :- kewalsach@gmail.com

Corporate Office:-
Vaishnavi Enclave, Second Floor, Flat No. 2B, Near-firing range, Bariatu Road, Ranchi- 834001
E-mail :- editor.kstimes@rediffmail.com

Delhi Office :-
Sanjay Kumar Sinha
A-68, 1st Floor, Nageshwar talla, Shastri Nagar, New Delhi-110052
Mob.- 09868700991, 09955077308
kewalsach_times@rediffmail.com

Kolkata Office :-
Ajeet Kumar Dube,
131 Chitranjan Avenue, Near- md. Ali Park, Kolkata- 700073 (West Bengal)
Mob.- 09433567880, 09339740757

ADVERTISEMENT RATES PER ISSUE

COLOUR

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
Cover Page	3,00,000/-	N/A
Back Page	1,00,000/-	65,000/-
Back Inside	90,000/-	50,000/-
Back Inner	80,000/-	50,000/-
Middle	1,40,000/-	N/A
Front Inside	90,000/-	50,000/-
Front Inner	80,000/-	50,000/-

B & W

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
Inner Page	60,000/-	40,000/-

1. एक साल के नियमित विज्ञापन पर पत्रिका के वेवसाइट **www.kewalsachtimes.com** के फ्रंट पर भी विज्ञापन निःशुल्क तथा आपका वेवसाइट से सीधा लिंक हो सकता है।
2. एक साल के नियमित विज्ञापन पर 10 प्रतिशत की रियायत।
3. आपके प्रोडक्ट या संगठन के प्रचार-प्रसार हेतु आलेख को उचित स्थान।
4. पत्रिका द्वारा सामाजिक कार्य में आपके संगठन/प्रोडक्ट का बैनर/फ्लैक्स को उचित स्थान देकर आपके संगठन का व्यापक प्रचार-प्रसार।
5. विज्ञापन का भुगतान चेक या आर.टी.जी.एस. से ही मान्य होगा।

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

वास्तविक या दिमागी नक्सल

अपनी प्रतिक्रिया हमारे ई-मेल पर दें:- editor.kstimes@rediffmail.com

गुलाम भारत में देश की आजादी के लिए आंदोलन और 1947 के आजादी के बाद भ्रष्टाचार एवं अत्याचार के विरूद्ध आंदोलन का दौर चलता रहा है। 1974 का आन्दोलन ने कांग्रेस एवं श्रीमती इंदिरा गाँधी की नींद हराम कर दी और देश में बदलाव हुआ और सत्ता विपक्ष के पास आया लेकिन सत्ता का संचालन आसान नही रहा और कुछ ही वर्षो में सत्ता का स्थानांतरण कांग्रेस के पास चला गया। आन्दोलन सत्ता के लिए होना अलग बात है और सत्ता के कानून व्यवस्था एवं शासन का राजनीतिकरण के विरूद्ध हो तो उसकी समस्या के समाधन का मार्ग को ढूंढ़कर उसको ठीक किया जा सकता है। 1974 के जेपी आन्दोलन के बाद 2011 में भ्रष्टाचार के विरूद्ध जन-लोकपाल को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर अन्ना हजारे का आन्दोलन हुआ था (जिसमें अरबिंद केजरीवाल, किरण बेदी, बाबा रामदेव) और इसका व्यापक प्रभाव पड़ा और दिल्ली से कांग्रेस की सरकार को जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया और केन्द्र में भाजपा (मोदी सरकार) की सरकार तो दिल्ली प्रदेश में आप (अरबिंद केजीवाल) की सरकार बन गई और सत्ता में आते हीं आप की सरकार पर खुद ही भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबने का आरोप लगा और मुख्समंत्री, उप मुख्यमंत्री, सहित कई मंत्री एवं सांसद को जेल तक जाना पड़ा और भाजपा की सरकार पर देश की जनता को गलत कानून बनाकर देश के भीतर गृहयुद्ध की स्थिति बना दी है। जेनजी एवं दिमागी नक्सल के लोगों ने भी 2026 में आन्दोलन करके सरकार को उनके गलत मंसूबे पर पानी फेर दिया है।

ब्रजेश मिश्र, संपादक
8340360961, 9431073769
editor.kstimes@rediffmail.com

आवाज दो, हम एक हैं के नारे से दिल्ली का रामलीला मैदान हो या फिर जंतर मंतर और दिल्ली की सड़कें, चारो तरफ यह नारा केन्द्र सरकार के गलत नीतियों के विरूद्ध गूंज रही हैं। केन्द्रीय शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को अभिजीत दीपके के आन्दोलन की वजह से इस्तीफा देना पड़ा और पहली दफा किसी आन्दोलन में प्रधानमंत्री एवं उनकी सरकार पर गाली-ग्लौज हुआ और नंगा आन्दोलन भी देखने को मिला। पेपर लीक के मामले को लेकर 16 मई 2026 को जंतर-मंतर पर शुरू हुआ एक भारतीय युवा आधारित व्यंग्यात्मक राजनीतिक आंदोलन था जिससे परेशान होकर 2014 के बाद 2026 में पहली बार किसी केन्द्रीय मंत्री को आन्दोलन की वजह से इस्तीफा देना पड़ा। 15 अगस्त 2026 को लालकिला से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जेएनजी और दिमागी नक्सल की बात कही थी कि किस प्रकार युवा आन्दोलन को नई दिशा दे रहे हैं और देश के भीतर असामाजिक वातावरण का निर्माण कर रहे हैं। दिमागी नक्सल की बात कहने वाले पीएम मोदी का यह बयान कि तुम हमें पानी नहीं पीने देते थे? तुम हमे मंदिरों में जाने से रोकते थे? तुम हमे स्कूलों में पढ़ने से रोकते थे? बगैरह-बगैरह देश-विदेश में वायरल होता जा रहा है और हिन्दूराष्ट्र का सपना दिखाकर स्वयं दिमागी नक्सल की परिभाषा को चरितार्थ करते नजर आ रहे हैं। 2014 में केन्द्र में सरकार बनाने के नरेन्द्र मोदी के तेवर एवं बयान बदलते रहे। एकतरफ भारत देश को विश्वगुरू बनाने का दावा तो दूसरी तरफ किसी देश का प्रधान छाती ठोकर यह कहता है कि हम पिछड़ा हैं, ऐसे में जह देश का प्रधान खुद ही यह दावा करता है कि वह पिछड़ा है वैसे में विश्वगुरू बनने की बात किसी दिमागी नक्सल से कम नहीं है। कभी हमें गंगा मईया ने बुलाया है और हम सनातनी हैं कहने वाला 2026 में विश्व का सबसे बड़ा धर्म बौद्धधर्म कहने वाला भारत को विश्वगुरू कैसे बना सकता है? यह अहम सवाल है। ऐसे आलेख लिखने के बाद पत्रकार की हत्या या गायब हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। 2024 चुनाव को जीतने के लिए बंटोगे तो कटोगे का नारा देकर किसी प्रकार सरकार बनाने में कामयाब रही भाजपा की सरकार 2026 में यूजीसी 2026 कानून बनाकर यह साबित करने में लगी है कि तुमको बंटना भी होगा और कटना भी होगा, ऐसे में आन्दोलनकारी दिमागी नक्सल है या फिर सरकार? कांग्रेस एंव अन्य दलों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली भाजपा भगवान श्रीराम के मंदिर से हुई चंदाचोरी पर चुप है और उसका जवाब देने के बजाय यह बयान देती है कि कांग्रेस एवं अन्य राजनीतिक दलों को राम मंदिर पर कोई सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है। देश के भीतर 2026 में आन्दोलन का दौर शुरू हो चुका है। संविधान में देश की समस्त जनता को अपनी बात कहने का अधिकार है लेकिन वोट की राजनीति ने संविधान के मूल को ही समाप्त करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि 10 साल के लिए मिले आरक्षण को बढ़ाकर आजादी के 79 साल के बाद भी आरक्षण समाप्त करने के बजाय उसको आवश्यकता से अधिक बढ़ाने का ताल ठोकर सरकार एवं विपक्ष दोनों करने की बात कर रही है। दूसरी तरफ सरकार एससी/एसटी कानून एवं यूजीसी 2026 के काला कानून पर सख्त है और दूसरी तरफ इससे प्रभावित देशवासी इस कानून को समाप्त कर देश को गृहयुद्ध से बचाने की अपील कर रही है। स्वयं देश के प्रधानमंत्री यह कहते हैं कि एससी/एसटी कानून को इतना सख्त बना दिया हूं कि जन्म लेने वाला भी दूधमुंहा बच्चा भी बिना सबूत के जेल भेज दिया जायेगा और केश करने वाले को लाखों रूपये दिये जायेंगे ताकि मामले को सिद्ध कर सके। ऐसे में वास्तविक रूप से दिमागी नक्सल कौन है सहजतापूर्वक समक्षा जा सकता है। अधिवक्ता अनिल कुमार मिश्र एवं करणी सेना प्रमुख महिपाल सिंह मकराना ने देश के भीतर सवर्ण समाज को एकत्रित करके मोदी सरकार की नींद हराम कर दी है और उनको एससी/एसटी एवं यूजीसी 2026 कानून को जड़ से समाप्त करने का आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर संचालित कर रहे हैं। आखिर जब एक देश-एक विधान है, तो फिर किसी खास के लिए किसी अन्य को जन्मजात अपराधी बनाने की राजनीति करना एवं यह कहना की मौका मिलेगा तो बदला नहीं लेगा का बयान दिमागी नक्सल का परिचायक है। कभी धर्म की राजनीति, कभी जाति की राजनीति तो अब बदले की भावना की राजनीति क्या भारत को विश्वगुरू बना सकती है? भगवान की भक्ति को देखकर राजनेता अपने लिए अंधभक्त बना रहे हैं लेकिन राजनेता की भक्ति का एक टाइम लिमिट हैं लेकिन भगवान के भक्त जन्मजात होते हैं उनसे मुकाबला करना मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति का लक्षण माना जाता है। देश के भीतर अपना वजूद कायम है समय-समय पर चेक करने के लिए कभी थाली बजवाना, कभी दीपक जलवाना, कभी घंटी बजवाना और अब तो जन्मदिवस के अवसर पर दीपक जलवाकर यी साबित कर चुके हैं कि दिमागी नक्सल कौन है। नक्सली किसी खास एवं दोषी को टारगेट करता है लेकिन सरकार ऐसा कानून बनाकर देश पर थोपना चाहती है कि एक बार में सभी टारगेट पर आ जायें। बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती बेराजगारी, बढ़ती महंगाई और बढ़ता भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के बजाय देश के 70 फिसदी लोगों को एससी/एसटी कानून का भय कायम रहे पर सरकार गंभीर है ऐसे में दिमागी नक्सल से मुकाबला करना वास्तव में आन्दोलन के बगैर संभव नहीं है।

KEWAL SACH TIMES

A National Magazine

वर्ष:- 16, अंक:- 183 माह:- सितम्बर 2026 रू. 10/-

Editor

Brajesh Mishra 9431073769 6206889040 8340360961

editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach@gmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

Principal Editor

Arun Kumar Banka 7782053204
Nilendu Kumar Jha 9431810505

General Manager (H.R)

Triloki Nath Prasad 9308815605

General Manager (Advertisement)

Manish Kamaliya 6202340243
Poonam Jaiswal 9430000482

Joint Editor/Lay-out Editor

Amit Kumar 9905244479
amit.kewalsach@gmail.com

Legal Editor

Amitabh Ranjan Mishra 8873004350
S. N. Giri 9308454485

Asst. Editor

Mithilesh Kumar 9934021022
Sashi Ranjan Singh 9431253179
Rajeev Kumar Shukla 7488290565

Sub. Editor

Arbind Mishra 6204617413
Prasun Pusakar 9430826922

Bureau Chief

Sanket kumar Jha 7762089203

Bureau

Sridhar Pandey 9852168763
Sonu Kumar 8002647553

Photographer

Mukesh Kumar 9304377779

प्रदेश प्रभारी

दिल्ली हेड

संजय कुमार सिन्हा 9868700991

झारखण्ड हेड

ब्रजेश मिश्र (2) 7979769647
7654122344

पश्चिम बंगाल हेड

अजीत दुबे 9433567880
9339740757

मध्यप्रदेश हेड

अभिषेक पाठक 8109932505
8269322711

छत्तीसगढ़ हेड

आवश्यकता है

उत्तर प्रदेश हेड

निर्भय कुमार मिश्रा 9452127278

उत्तराखण्ड हेड

आवश्यकता है

महाराष्ट्र हेड

आवश्यकता है

गुजरात हेड

आवश्यकता है

आंध्र प्रदेश हेड

आवश्यकता है

राजस्थान हेड

आवश्यकता है

पंजाब हेड

आवश्यकता है

हरियाणा हेड

आवश्यकता है

राजस्थान हेड

आवश्यकता है

उड़ीसा हेड

आवश्यकता है

आसाम हेड

आवश्यकता है

हिमाचल हेड

आवश्यकता है

दिल्ली कार्यालय

केवल सच टाइम्स,
द्विभाषीय मासिक पत्रिका,
द्वारा- संजय कुमार सिन्हा
A-68, 1st Floor,
नागेश्वर तल्ला, शास्त्रीनगर, न्यू दिल्ली-110052
मो०- 9868700991, 9431073769

पश्चिम बंगाल कार्यालय

केवल सच टाइम्स,
द्विभाषीय मासिक पत्रिका,
द्वारा- अजीत कुमार दुबे
131 चितरंजन एवेन्यू,
कोलकात्ता, पश्चिम बंगाल- 700073
मो०- 9433567880, 9339740757

झारखण्ड कार्यालय

केवल सच टाइम्स,
द्विभाषीय मासिक पत्रिका,
वैष्णवी इंक्लेव, द्वितीय त्तल,
फ्लैट नं- 2बी
नियर- फायरिंग रेंज
बरियातु रोड, राँची- 834001
मो०- 9308815605

मध्यप्रदेश कार्यालय

केवल सच टाइम्स,
द्विभाषीय मासिक पत्रिका,
द्वारा- अभिषेक कुमार पाठक
हाउस नं.-28, हरसिद्धि कैम्पस
खुशीपुर, चांबड़
भोपाल, मध्य प्रदेश- 462010
मो०- 8109932505,

विशेष प्रतिनिधी

भारती मिश्र 8521308428
बेंकटेश कुमार 8210023343
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

अगस्त 2026

आपको केवल सच टाइम्स पत्रिका कैसी लगी तथा इसमें कौन-कौन सी खामियाँ हैं, अपने सुझाव के साथ हमारा मार्गदर्शन करें। आप अपने संदेश हमारे ई-मेल पर एवं पत्र के जरीय भेज सकते हैं। आपका पत्र ही हमारा बल है। हम आपके सलाह को संजीवनी बूटी समझेंगे।

केवल सच टाइम्स

हमारा पता है :-

द्विभाषीय मासिक पत्रिका

द्वारा:- ब्रजेश मिश्र

पूर्वी अशोक नगर, रोड़ नं.- 14, मकान संख्या- 14/28

कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)

फोनः- 9431073769/ 8340360961

हमारा ई-मेल

kewalsach@gmail.com, editor.kstimes@rediffmail.com

kewalsach_times@rediffmail.com

अन्दर के पन्नों में

16

20

23

40

श्री चन्द्र प्रकाश सिंह

प्रधान संरक्षक सह प्रबंध संपादक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक)

पूर्व निदेशक सदस्य, ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स

09431016951, 09334110654

डॉ. सुनील कुमार

शिशु रोग विशेषज्ञ सह मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका

एवं 'केवल सच टाइम्स'

एन.सी.- 115, एसबीआई ऑफिसर्स कॉलोनी,

लोहिया नगर, कंकड़बाग, पटना- 800020

फोन- 0612/3504251

सुधीर कुमार

मुख्य संरक्षक सह निदेशक **''मगध इंटरनेशनल स्कूल''** टेकारी

'' केवल सच '' पत्रिका **एवं '' केवल सच टाइम्स ''**

9060148110

sudhir4s14@gmail.com

कैलाश कुमार मौर्य

मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

व्यवसायी

पटना, बिहार

7360955555

एक नजर

संपादकीय व प्रधान कार्यालय:-

☛ पूर्वी अशोक नगर, रोड नं:-14, मकान संख्या:- 28/14, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)

e-mail:- kewalsach@gmail.com,
editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

☛ स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक ब्रजेश मिश्र द्वारा जय हिन्द प्रेस कंकड़बाग पटना-800020 से मुद्रित एवं पूर्वी अशोक नगर, रोड नं. 14, कंकड़बाग पटना-800020 से प्रकाशित, संपादक- ब्रजेश मिश्र। **RNI NO.- BIHBIL/2011/49252**

☛ पत्रिका में प्रकाशित समाचारों से संपादक की सहमति आवश्यक नहीं है।

☛ सभी प्रकार के वाद - विवादों का निपटारा पटना न्यायालय के अधीन होगा।

☛ आलेख पर किसी को कोई आपत्ति हो तो एक महीने के भीतर खंडन करें।

☛ किसी भी लेख के लिए रचनाकार/लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

☞ सभी पद अवैतनिक हैं।

☞ विज्ञापन की सत्यता की जाँच आप अपने स्तर पर कर लें।

☞ फोटो-समाचार साभार भी (माध्यम- इंटरनेट एवं अन्य स्त्रोत)

☞ कोई भी शिकायत हमारे पते पर लिखकर भेजें।

☞ **विज्ञापन का भुगतान चेक या ड्राफ्ट एवं RTGS से ही मान्य होगा।**

☞ भुगतान BRAJESH MISHRA को ही करें। किसी प्रतिनिधि को नगद न दें।

☞

A/C No.	:-	20001817444
BANK	:-	State Bank Of India
IFSC Code	:-	SBIN0003564
PAN No.	:-	AKKPM4905A

Contributions/Donations are Invited for the Welfare of Elders/Sr. Citizens for the establishment of
"APNA GHAR" A home for Sr. Citizens of Bihar & Jharkhand Proposed to be Constructed
Under the ageas of " KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN".
KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN
Registered Under the Indian Society Act 21, 1880
East Ashok Nagar, Road No.-14,
Kankarbagh, Patna - 800020
Contact No. :- 09431073769, 9955077308, 9308727077
E-mail :- kewalsachsamajiksansthan33@gmail.com
Reg. No. : 1141 (2009-10), Income Tax No. :12AA/2505-8 | 80 जी (5)/तक०/2013-14/1060-63
APNA GHAR
Now in the State of Bihar & Jharkhand
Help the helpless Elders/Sr. Citizen. For which your
Contribution and Donation are essential.
Your Coopertation in this direction can make a diffrence
in the lives of many Sr. Citizens.
KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN
A/C No. - 0600010202404
Bank Name - United Bank of India
IFSC Code - UTBIOKKB463
Pan No. - AAAAK9339D

मुस्लिम तुष्टिकरण के रास्ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

● संजय कुमार सिन्हा

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत तीन देशों के 17 दिवसीय दौरे पर थे। उनकी यात्रा का पड़ाव अमेरिका, दूसरा कनाडा और तीसरा ब्रिटेन रहा है। यह संघ की शताब्दी वर्ष के अवसर पर उनका पहला बड़ा इंटरनेशनल दौरा माना जा रहा है। मोहन भागवत ने अमेरिका के न्यूयॉर्क (मैडिस्न स्क्वायर गार्डन) में यूनिवर्सल वननेस सम्मेलन को संबोधित किया। कनाडा के टोरंटो में हिंदु विश्व बंधु सम्मेलन में भी हिस्सा लिया हैं, उसके बाद लंदन। अब संघ की आलोचना करने वाले या ये भी कह सकते हैं कि संघ की विचारधारा को जानने वाले एवं संघ के पुराने स्वयंसेवक, संघ प्रमुख के हिन्दू स्पष्टीकरण एवं हिन्दू नहीं होने वाले बयान से थोड़ा ज्यादा खफा हैं। मोहन भागवत के अमेरिकी बयानों ने इस पुरानी बहस को फिर सामने ला दिया है कि भारत की पहचान धार्मिक बहुसंख्यक संस्कृति से तय होगी या उसकी बहुलतावादी और समतामूलक परंपराओं से। मोहन भागवत जहां भारत को विविधता में एकता और मानवता का संदेश देने वाला देश बता रहे हैं, वहीं उनके आलोचक पूछ रहे हैं कि यही संदेश भारत के भीतर जातिगत भेदभाव, धार्मिक तनाव और सामाजिक असमानता के सवालों पर भी उतनी ही स्पष्टता से क्यों नहीं दिखाई देता! यूजीसी कानून बेशक सुप्रीमकोर्ट में लंबित है, परन्तु ऐसे कानून कभी किसी भी सुरत मे समाज को स्वीकार नहीं हो सकता। क्या आज एससी एसटी कानून का दुरूपयोग नहीं किया जा रहा है? सवाल है कि अगर एससी एसटी कानून का औसतन उपयोग से ज्यादा दूर उपयोग हो रहा है तो क्या समीक्षा नहीं होनी चाहिये? आज कई प्रदेशों में ऐसे कानून के अन्तर्गत झूठे बेबुनियाद आरोप लगाकर कर लोगों को फंसा कर पैसे लिये जा रहे हैं। कुछ जातियाँ की कमाई का एक जरिया बन चुकी है।

फिलहाल इतना स्पष्ट है कि अमेरिका में मोहन भागवत के बयानों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा, हिंदुत्व, बुद्ध की विरासत और भारतीय संविधान के बहुलतावादी मूल्यों के बीच संबंध को लेकर एक नई राजनीतिक बहस जरूर छिड़ गई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 29 अगस्त, 2026 को न्यूयॉर्क में एक सम्मेलन में कहा कि जो हिंदु यह मानता है कि मुसलमानों को भारत से ''बाहर निकाल देना चाहिए'', वह हिन्दू नहीं रह सकता। मतलब हिन्दू नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मानवता की एकता की हिन्दू अवधारणा में इस तरह किसी को बाहर करने की कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा, ''जब हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं तो एक शब्द की काफी चर्चा की जाती है और वो है बहुलता और जब हम भारत कहते हैं तो एक और शब्द की चर्चा की जाती है और वो है-यूनिटी इन डायवर्सिटी, ये यूनिटी और डायवर्सिटी दोनों भारत के डीएनए में है.'' उन्होंने कहा, 'अगर आप खुद को हिंदू कहलाना चाहते हैं, तो आपको यह मानना होगा कि सभी रास्ते एक ही ईश्वर तक पहुंचते हैं। और हर इंसान का सम्मान और गरिमा है. इंसानों में कोई भेद नहीं है'।

मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू परंपरा में यह माना जाता है कि सभी धर्म अंततः ईश्वर की खोज की ओर ले जाते हैं. उन्होंने कहा कि भारत ने ऐतिहासिक रूप से उन अलग-अलग धर्मों के लोगों को शरण दी है, जिन्हें कहीं और सुरक्षा नहीं मिली। हालांकि, उन्होंने कहा कि अतीत की 'विरासत' ने समुदायों के बीच तनाव पैदा करने में भूमिका निभाई है। लेकिन उन्होंने 16 बार पृथ्वीराज

चौहान के द्वारा मोहम्द गौरी को मांफी के उदाहरण नहीं दिये और अंत में उसी मोहम्द गौरी ने तराईन के युद्ध में छल से पृथ्वीराज चौहान को हलाक कर दिया। मोहन भागवत के विरोधी अनेकों मुस्लिम आक्रंताओं की आलोचना तो करते हैं। परंतु उनका मानना है कि भारत के मुसलमान भी मेरे तरह सनातनी हिन्दू ही हैं।

मोहन भागवत के विरोधी आज दो प्रकार के मानें जा रहे हैं। एक वो जो हमेशा से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अच्छे कामों के लिए भी कोसते रहे हैं। और दूसरे वैसे स्वयंसेवक या कहें कि संघ विचारधारा को मानने वाले हैं जो न ऐसे बयान से वास्ता रखते और न ही मुस्लिम मंच बनाये जाने का स्वागत करते हैं। उनकी मानें तो उनका कहना है कि संघ की स्थापना मुस्लिम तुष्टिकरण के विरोध में एवं हिन्दू जातियों को गोलबंद करने की शर्तों पर ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना परमपूज्य डाक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार एवं परमपूज्य माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर ने बनाई थी और उसी रास्ते पर पांचवे संघचालक परम आदरणीय के.एस. सुदर्शन भी चलते रहे थे। परंतु अब मोहन भागवत सेक्युलर स्वभाव में आ चुके हैं। मोहन भागवत के विरोधी पिछले साल हरियाणा भवन में करीब 60 अलग-अलग मुस्लिम संगठन के मौलाना मौलवी के साथ मोहन भागवत की मिटिंग का विरोध करते हैं। और मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप भी लगाते हैं। कुछ उनके विरोधी तो संघ की प्रासंगिकता पर ही प्रश्न खड़े करते हैं, और कहते हैं अब संघ की क्या जरूरत जब मुस्लिम तुष्टिकरण की बातें होगी तो? उनका मानना है कि भारत में अल्पसंख्यक आयोग हैं इनके लिए भारत सरकार अलग से केन्द्रीय बजट में अच्छे खासे धन देने की व्यवस्था है। अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम पंथ के अनेकों संस्थान उनके लिए काम कर रहीं हैं। विदेशी फंड के अनेकों माध्यम से उनके लिए धन आ रहें हैं। वक्फ बोर्ड जैसी

अमेरिकी एड्रिएन थॉर्न ने आरएसएस के लिए अच्छा नहीं कहा

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के 29 अगस्त न्यूयॉर्क में हुए कार्यक्रम में सम्मानित अतिथि में से एक अमेरिकी रिवर साइड चर्च की बिशप एड्रिएन थॉर्न भी थी, जो बिलकुल मोहन भागवत के बगल में बैठीं थीं सिर्फ उन दोनों के बीच एक छोटी सी टीटेबल ही रही होगी। सबसे मजे की बात है कि आयोजकों ने कैसे इन्हें मोहन भागवत के बगल में जगह दे दिया। ये लेडी तो हमेशा से हिन्दू विरोधी रहीं हैं। इन्होंने कभी भी हिन्दूवादी संगठनों को एक पैसे के बराबर भी पसंद नहीं किया है। कार्यक्रम के तुरंत बाद एड्रिएन थॉर्न ने कहा है उन्हें धोखा देकर बुलाया गया उन्हें नहीं पता था यह आरएसएस का कार्यक्रम है और इसमें मोहन भागवत आने वाला हैं। उन्होंने साफ-साफ यह भी कहा कि वह किसी भी तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा का समर्थन नहीं करती हैं। एड्रिएन थॉर्न ने कहा-"रिवरसाइड चर्च न तो मोहन भागवत, न ही आरएसएस और न ही हिंदू राष्ट्रवाद का समर्थन करता है।" एड्रिएन थॉर्न न्यूयॉर्क के रिवरसाइड चर्च की वरिष्ठ मंत्री हैं ने मैडिसन स्क्वायर गार्डन में मोहन भागवत के साथ मंच साझा करने को "एक गलती" बताया। उन्होंने कहा कि आयोजकों ने उन्हें यह महत्वपूर्ण जानकारी नहीं दी थी कि कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत केंद्रीय भूमिका में होंगे और आरएसएस से जुड़े संगठन इसमें शामिल थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूरी जानकारी होती तो वे इस कार्यक्रम में कभी शामिल नहीं होतीं। उन्होंने हिंदू वर्चस्ववाद, ईसाई वर्चस्ववाद, मुस्लिम वर्चस्ववाद, यहूदी वर्चस्ववाद और नस्लवाद सहित हर उस विचारधारा को खारिज किया जो एक समुदाय को दूसरे से श्रेष्ठ मानती है। उन्होंने भारत में धर्म, जाति या पहचान के कारण हिंसा और भेदभाव झेलने वाले सभी लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने आगे कहा कि "मुझे गुमराह किया गया था। मैं अपने चर्च के नाम का इस्तेमाल ऐसी किसी विचारधारा को वैधता देने के लिए नहीं होने दूँगी, जो हमारे मूल्यों का उल्लंघन करती है!'' एड्रिएन थॉर्न न्यूयॉर्क के 'द रिवरसाइड चर्च' अपने उदार सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक सक्रियतावाद के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इस ऐतिहासिक चर्च की कमान संभालने वाली पहली अश्वेत महिला बनकर उन्होंने अमेरिकी धार्मिक इतिहास में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। एड्रिएन थार्न पादरी (मिनिस्टर) बनने से पहले वे एक पेशेवर डांसर थीं और उन्होंने मशहूर 'डांस थिएटर ऑफ हार्लेम' और 'रेडियो सिटी रॉकेट्सश जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं में अपनी कला का प्रदर्शन किया है। वे कला और आध्यात्मिकता को जोड़ने इम्बोडिंग पास्टिक (Embodied Pastoring) के लिए जानी जाती है। भूखों को भोजन देने की पहल की सह-स्थापना किया जिसके लिए स्थानीय समुदाय ने उन्हें 'टॉप टेन मोस्ट इम्पैक्टफुल पीपल' (दस सबसे प्रभावशाली लोग) में चुना गया था। सामाजिक न्याय और एलजीबीटीक्यू समुदाय के अधिकारों के लिए खुलकर आवाज उठाती हैं। वे अमेरिका के कई बड़े पॉडकास्ट और राष्ट्रीय मंचों पर एक मार्गदर्शक के रूप में नजर आती हैं। एड्रिन थार्न एक प्रगतिशील धार्मिक नेता के रूप में अमेरिका में उनकी इज्जत बहुत उच्ची मानी जाती है।

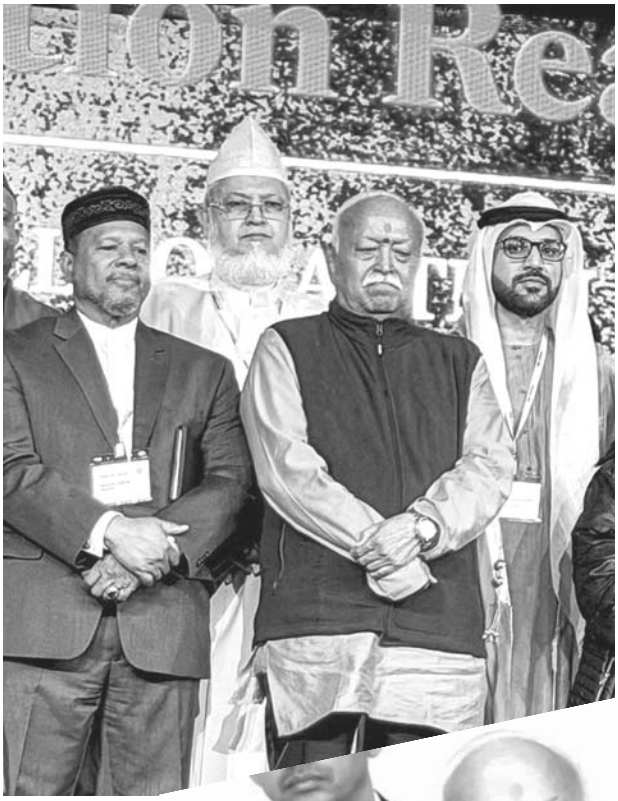

संस्थान के पास एक नेपाल से बड़े देश के बराबर जमीन एवं अरबों खरबो की संपत्ति है। मौब लिचिंग की घटनाएं अगर हिन्दू के तरफ से हो जाये तो विदेशी धरती वो चाहे अरब देश हो या युरोपीय देश सभी मुस्लिम के पक्ष में आते हैं। परंतु कन्हैया लाल की हत्या पर कोई नहीं आगे आते ऐसा क्यों!

आज आबादी के हिसाब से ज्यादा संख्या विदेशों और खासकर मुस्लिम देशों में भी मुस्लिम की संख्या ज्यादा हैं। जिससे उनकी आर्थिक स्थिति हिन्दुओं की अपेक्षा ज्यादा अच्छी हैं। अगर मुस्लिमो की आर्थिक स्थिति खराब है तो उनके जीवन शैली जैसे अधिक बच्चे पैदा करना। हिन्दूओं के लिए एक संगठन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो समानता एवं न्याय के साथ थीं, हिन्दुओं का पक्ष रखतीं थीं वो भी अब मुस्लिम तुष्टिकरण की राह पकड़ चूंकि हैं। मोहन भागवत के विरोधी उन पर यह भी आरोप लगाते हैं कि छोटे बड़े हिन्दूवादी संगठनों को जैसे अखिल भारत हिन्दू महासभा को संघ ने खा गया उनके कद कभी बहुत बड़े थें, आज कोई बजूद नहीं है। मोहन भागवत के विरोधियों को उनसे चिढ़ इसलिए भी है कि वो साल में कई बार मुस्लिम संगठनों के लोगों से मिलते हैं। उनके लिए कार्यक्रम आयोजित करवाते हैं। यहाँ तक नागपुर संघ मुख्यालय में बुलाया जाता है वहाँ के अतिथिशाला में ठहराया जाता है और नमाज पढ़ने के लिए जगह मुहैया कराई जाती, यहाँ तक उनकों नमाज अदा के लिए दिशा भी बताया जाता है। इनके कुछ विरोधियों का तो मानना है कोई भी व्यक्ति या संगठन उपर उठता है, बहुत उपर उठता है। जो संघ बहुत उपर उठ चुका है। उसके बाद निचे गिरने की बारी होती है। ये अर्थशास्त्र एवं प्राकृतिक का भी नियम यही है। उन्होंने कहा कि आरएसएस की जिम्मेदारी है कि वह यह विचार समाज तक पहुंचाए कि विविधता के बावजूद सभी के बीच एक मूलभूत एकता है. उन्होंने कहा, 'जिस तरह मैं अपनी विशिष्ट पहचान की रक्षा करता हूं, उसी तरह मुझे दूसरों की पहचान की भी रक्षा करनी चाहिए. विविध ता प्रकृति का नियम है. एकता प्रकृति के पीछे का सत्य है।'

न्यूयॉर्क में आयोजित अहेड फोरम की ओर से आयोजित फेथ लीडर्स कॉन्फ्रेंस में भागवत ने कहा कि सामाजिक और धार्मिक संगठन सार्वजनिक नीतियों और राजनीति को प्रभावित करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इसकी शुरुआत समाज से करनी होगी, क्योंकि 'राजनीति अब स्वार्थ का खेल बन गई है'। लेकिन आज के केरलम् की एक घटना की बातें करना बहुत प्रासंगिक एवं जरूरी भी है। जिससे पता चलता है कि कैसे एक पंथ इस्लाम के मानने वाले अपनी ताकत दिखाते हैं और कैसे संख्या में ज्यादा होकर, सत्ता में होकर, शक्तिशाली होकर भी हिंदू हमेशा पीछे रहते हैं। बात है केरलम् में एक टीवी चैनल है, बिग टीवी। उस पर एक कार्यक्रम चला। कार्यक्रम क्या चला, उसमें क्या कहा गया, केरल के ग्रैंड मुफ्ती। अभी ग्रैंड मुफ्ती को सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी इस्लामी देश में रह रहे हों। लेकिन इसको छोड़ दीजिए। सुन्नी संप्रदाय से आते हैं। इनका नाम है शेख अबू बकर अहमद। इन्होंने एक टीवी कार्यक्रम में एक बात कही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को घर के अंदर रहना चाहिए, न कि सार्वजनिक जगहों पर, महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में नहीं आना चाहिए। ये बात कुरान में लिखी गई है और ये बात इसलिए लिखी गई है, इससे महिलाएँ सुरक्षित रहेंगी और उन्होंने बड़ा अजीब सा उदाहरण दिया कि अगर सोने का नेकलेस है, तो वो अगर आप लेकर घूमेंगे तो लोग उसको छुएँगे, देखेंगे और पत्थर का पहनेंगे तो फेंक भी देंगे, तो कोई उठाएगा नहीं। सोने के नेकलेस की खूबसूरती बनी रहे और वो सुरक्षित रहे, इसलिए उसको डिब्बे में रखिए, ज्वेलरी बॉक्स में रखिए। तो महिला को वो ज्वेलरी ही समझते हैं। जो

हिन्दू संगठन के नेता भागवत, हिन्दुओं की बात करें

डॉक्टर मुन्ना कुमार शर्मा, अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं उनके प्रमुख डाक्टर मोहन भागवत के विचारों एवं संघ की तुष्टिकरण पर वार्तालाप के अंश :-

❖ **अभी जो मोहन भागवत ने विदेश में अपना प्रोग्राम करा है, तीन देशों में सत्रह दिनों की यात्रा, उससे संबंधित मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा कि 29 अगस्त को अमेरिका के न्यूयॉर्क में मोहन भागवत का हिंदुओं के लिए दिए गए संदेश पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है?**

देखिए, ये इस वक्त अनेक देशों में घूम रहा है, ठीक है? और घूमकर अपना वो विचार लोगों के सामने दे रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन वहाँ पर भारत की जो सही मतलब स्थिति हो, उसको वहाँ पर ये बोलना चाहिए। जैसे हम स्वागत सबका करते हैं कि हमारी परंपरा भी रही है, अतिथि देवो भवः। लेकिन जो हमारे धर्म और संस्कृति पर आक्रमण कर रहा है, उसको तो हम अतिथि नहीं मान सकते हैं न? अब ये जो ये तो हिंदू राष्ट्र है भारत, और भागवत जी भी पहले कह चुके हैं कि हिंदू राष्ट्र है, लेकिन अब वो अपना स्टैंड बदल रहें है और कह रहें है कि ये हिंदुओं और मुसलमानों सबका है। ठीक है, पूजा पद्धति अलग है और उस पर हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। लोग जिसकी पूजा करते हैं, करें। लेकिन यहाँ रहने वाले तो सारे हिंदू ही हैं, तो उनको तो हिंदू ही माना जाएगा। फिर वो ये कहने की क्या जरूरत है कि यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों सबका है? यहाँ तो जो भी है, यहाँ पर सब हिंदू हैं। हिंदुस्तान में रहने वाला सब हिंदू है, तो ये वहाँ पर खुलकर कहें कि हिंदुस्तान में रहने वाला सब हिंदू है। ये तो हिंदू संगठन के प्रवक्ता हैं, हिंदू संगठन के नेता हैं, तो हिंदुओं की बात बोलें जाकर। ये कहें कि भारत हिंदू राष्ट्र है, तो वहाँ रहने वाला सब हिंदू है। ऐसा कहने में क्या दिक्कत है क्या?

❖ **पिछले साल मोहन भागवत ने मस्जिदों में शिवलिंग ढूँढने से परहेज किया था हिंदुओं को। इस पर आपके विचार क्या हैं?**

देखिए, यही आरएसएस के लोग हैं, जो कि ये पहले कहते हैं कि ये हजारों मंदिरों को आक्रमणकारियों ने तोड़ा। यहाँ पर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने कई हजार मंदिरों को तोड़ा। तीन लाख मंदिर बताए जा रहे हैं कि ये तोड़े गए। ये लोग भी कहते हैं। तो वो जो मंदिर तीन लाख तोड़े गए, तो मंदिर तो बहाल होना चाहिए। आक्रमणकारियों ने तोड़ा, तो अब तो वो हिंदू वहाँ फिर से मंदिर बहाल किए जाएँ और वो लड़ाई हिंदू लड़ भी रहा है। जैसे इन लड़कों ने अयोध्या में राम मंदिर बनवाया, हिंदुओं ने। हिंदू महासभा ने आगे बढ़कर उसमें हिस्सा लिया। उसके बाद मथुरा और काशी का भी चल रहा है। कई जगह जो है, ये मंदिर है, वहाँ पर हिंदू दावा कर रहा है। कोर्ट में भी मामला है और आंदोलन भी चल रहा है। तो ये कहना कि हिंदू शिवलिंग न ढूँढे मस्जिद में, तो ये तो हिंदुओं पर हमला है ये, हिंदुओं पर कुठाराघात है और हिंदुओं के साथ धोखा है ये। अगर वो मंदिर है, वहाँ शिवलिंग पहले था, तो हिंदू शिवलिंग जोड़ेगा। अब बाबा विश्वनाथ का मंदिर है। अब जो जहाँ मूल स्थान पर जो मंदिर है बाबा का, वो तो वहाँ पर अतिक्रमण है। वहाँ पर तो मंदिर अभी बना हुआ है नहीं। अब चाहे वो गली आ रहा है, वो कितना भी अच्छा भव्य बन जाए, तो उससे वो क्या है, वो जो भोले बाबा का स्थान है, वो तो चेंज होगा नहीं। तो वो तो वहाँ पर उसको हटाया जाएगा अतिक्रमण को, वहाँ पर जो अवैध कब्जा है उसको हटाया जाएगा और फिर से उसी मूल स्थान पर, जहाँ पर बाबा का शिवलिंग था, वहाँ पर मंदिर बनेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह से कहकर संघ प्रमुख अपने दायित्वों से भाग रहे है। जो उन्होंने संघ का पहले कार्य किया कि हम हिंदू मंदिरों को स्वतंत्र करेंगे, अतिक्रमण मुक्त करेंगे, वहाँ पर फिर भव्य मंदिर बनाएँगे, वहाँ पर तोड़े गए मंदिरों के स्थान पर। वहाँ से संघ पीछे हट रहा है। और ये सब मुझे लगता है कि ये वोट बैंक के लिए किया जा रहा

कन्हैया लाल की हत्या

कन्हैया लाल की हत्या का आरोपी

है कि भाजपा को ज्यादा-से-ज्यादा वोट मिले, इसलिए ये संघ प्रमुख तुष्टीकरण कर रहे है। तो ये इसको हिंदू पसंद नहीं करेगा और हिंदुओं को ये अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं तो कहूँगा कि हिंदू संगठन के नेता भागवत जी, तो हिंदुओं की बात करें। और जो पुराना स्टैंड है संघ का और संघ के नेताओं का, पुराने नेताओं का और जो संघ को बनाने वाले जो लोग थे, उनका जो विचार था, उसी विचार पर संघ को चलना चाहिए। और भागवत जी को भी उन्हीं विचारों को करना चाहिए।

❖ **आज साधु-संतों से ज्यादा मौलाना-मौलवियों को मोहन भागवत पसंद कर रहे हैं, ऐसा आपको लगता है?**

देखिए, जो संघ का पुराना स्टैंड था और अगर उस पुराने विचारों से संघ हटेगा और तुष्टीकरण की बात करेगा, तो मुल्ला और मौलवी तो पसंद करेंगे ही। तो बार-बार ये कहना कि ये तो हिंदू-मुसलमान सबका है, रहने में तो मनाए किसी को नहीं है, कभी नहीं रहा है। जो बाहर से लोग आए, आक्रमणकारी भी आया, चाहे वो क्रिश्चियन्स आए, चाहे मुस्लिम्स आए, उसको हिंदुओं ने अपनाया। लेकिन ये तो हिंदू राष्ट्र है। तो यहाँ पर जो यहाँ रहने वाला है, सब हिंदू है। ये बार-बार कहने की क्या जरूरत है कि यहाँ हिंदू भी रहेगा, मुसलमान भी रहेगा? दूसरी बात है कि ये जो मंदिरों पर जो आरएसएस का स्टैंड है, उस पर भी भागवत जी पीछे हट रहे हैं। हमारा मानना है कि जो हजारों मंदिरों को तोड़ा गया और कम-से-कम वो तीन लाख न भी हों, तो कम-से-कम तीन हजार जो प्रमुख मंदिर हैं, उस पर तो अतिक्रमण हटे, वो फिर से बहाल हों, वहाँ पर फिर से भव्य मंदिर बने। तो ये बात तो करें। और ये बात नहीं करते, तो मुल्ला-मौलवी उसको पसंद करेंगे। तो स्वाभाविक बात है कि उनका तुष्टीकरण होगा, तो वो पसंद करेंगे।

❖ **राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आधिकारिक वेबसाइट पर मोहन भागवत ने सन् 2025 के एक संबोधन को प्रकाशित करते हुए भारत को हिंदू राष्ट्र बताया था, लेकिन अब विचार बदल रहे हैं। आपने इस पर बता ही दिया है कि हिंदू राष्ट्र से ये लोग अब पीछे हट रहे हैं।**

हिंदू राष्ट्र भारत था, है और रहेगा।

❖ **राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 101 वर्ष पूरे होने पर अब संघ किस ओर जा रहा है, आपको क्या लगता है?**

मुझे लगता है कि संघ वोट बैंक के नजरिए से देख रहा है और ज्यादा-से-ज्यादा बीजेपी को वोट मिले, इसके लिए प्रयास कर रहा है। तो ये वोट बैंक की राजनीति के लिए अब शोषण कर रही है संघ। और संघ के जो नेता हैं, भागवत जी सरसंघचालक हैं और जो वर्तमान पीढ़ी है, वो पुरानी पीढ़ी के नेताओं के विचारों से पीछे हट रही है और मैं समझता हूँ कि भारत के लिए और हिंदुओं के लिए ये उचित नहीं है, क्योंकि आरएसएस हिंदुओं का सबसे बड़ा संगठन है और लोगों का बहुत भरोसा भी है संघ में। इसलिए ये पुराने नेताओं का, जो पुराने पूर्व के सरसंघचालकों का जो विचार था और संघ के नेताओं का जो विचार था, उससे संघ पीछे न हटे। मेरा सुझाव यही है संघ के नेताओं को।

❖ **आपकी बातों से अब ये लग रहा है कि संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी भी अब कांग्रेस की तरह या भारत के अलग अलग राजनीति दलों की तरह मुस्लिम तुष्टीकरण की राह पर चल दिए हैं?**

बिल्कुल, ये एकदम स्पष्ट है। ये स्पष्ट है। आरएसएस हिंदुओं के हित के लिए बने थे। आखिर भारत हिंदू महासभा के नेताओं ने आरएसएस की स्थापना की थी और हिंदू महासभा के नेता डॉक्टर हेडगेवार जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई थी कि हिंदुओं का सैनिक संघ था और हिंदुओं के लिए लड़ने वाला एक संगठन था। लेकिन मुझे लगता है कि वो पुराने विचारों और पूर्व विचारों से पीछे हटते, संघ अब वोट के लिए सोचती है। तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। संघ को वोट के लिए नहीं सोचना चाहिए, संघ को केवल हिंदुओं के लिए और हिंदू राष्ट्र भारत के लिए सोचना चाहिए।

❖ **अंत में एक सवाल और आपसे क्या सनातन धर्म एवं हिंदुओं से कोई अपील आपकी है?**

मैं यही अपील करूँगा कि भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था, है और हिंदू राष्ट्र रहेगा और पूरे विश्व के हिंदुओं का संरक्षक है भारत। भारत में और ऐसा कोई प्रभावशाली देश नहीं है, जो विश्व के हिंदुओं को संरक्षण दे सके, सुरक्षा दे सके। भारत एक बहुत ही विशाल देश है और हर तरह से संपन्न है, सशक्तिशाली है। हमारी शक्ति रूप से भी मजबूत है, हमारी सेना भी मजबूत है। तो मैं यही अपील करूँगा कि इस देश को आगे बढ़ाएँ, इसका विकास करें और हिंदू एकजुट हों। और यहाँ पर जाति व्यवस्था, क्षेत्रवाद, इससे ऊपर उठकर हिंदू एकजुट हों और हिंदू राष्ट्र भारत को मजबूत बनाकर रखें, ताकि सारे विश्व के हिंदू सुरक्षित रह सकें। तो मुझे लगता है कि भारत के हिंदुओं पर एक बहुत बड़ा दायित्व है हिंदू धर्म और संस्कृति का पूरे वैश्विक स्तर पर उसका संरक्षण करने का और पूरे विश्व के हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करने का। तो ये जो दो हिंदुओं, भारत के हिंदुओं पर जो जिम्मेदारियाँ हैं, उसका वो पालन करें और एकजुट होकर के भारत को फिर से विश्वगुरु बनाएँ और ये हिंदू एक बनाएगा, हिंदुओं के अलावा और कोई भारत को फिर से विश्वगुरु बनाने वाला नहीं है, क्योंकि चौतरफा हमारे ऊपर षड्यंत्र हो रहा है, चारों तरफ से भारत विरोधी कार्य हो रहे हैं, भारत को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जो भारत के हिंदू हैं, जो सनातन प्रेमी हैं, वो अपने दायित्वों को समझें और देश को मजबूत करें, सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति को मजबूत करें। यही मेरा संदेश है। धन्यवाद, आपका।

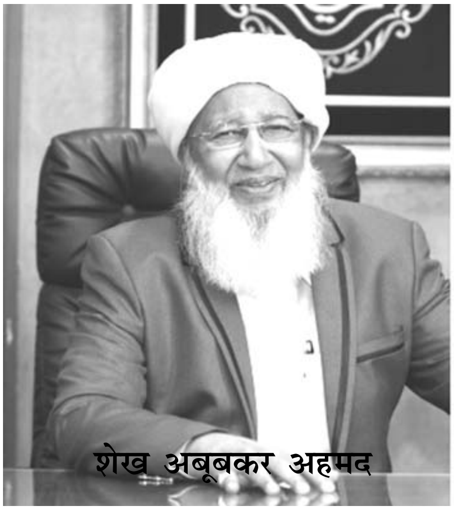
शेख अबूबकर अहमद

अपर्णा कुरुप

जोहरान ममदानी

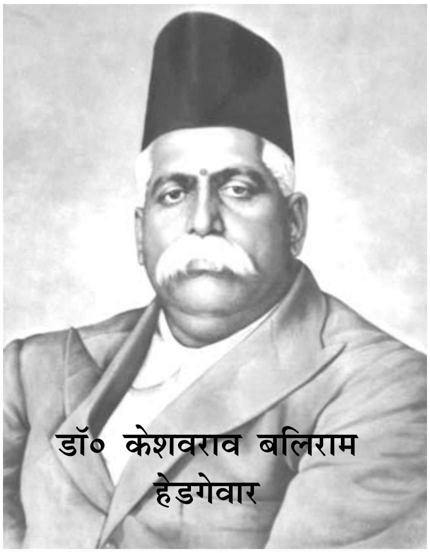

डॉ० केशवराव बलिराम हेडगेवार

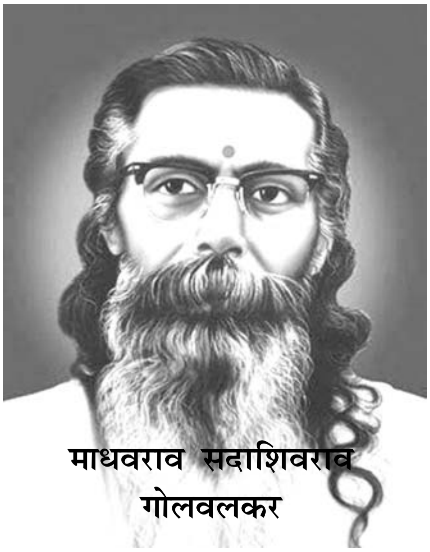

माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर

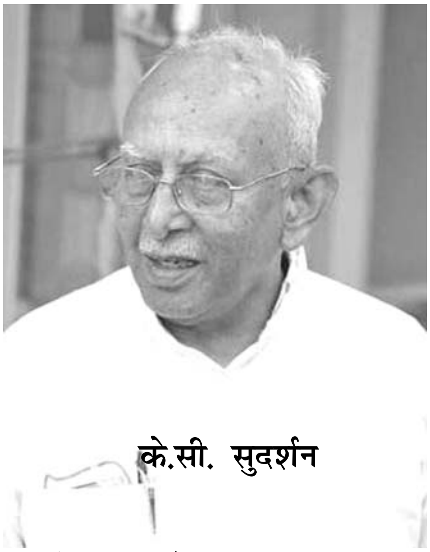

के.सी. सुदर्शन

लोग बड़ा हल्ला मचाते हैं कि महिलाओं को प्रोडक्ट के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, उनकी जबान पर आज ताला लगा हुआ है।

विग टीवी चैनल की सीनियर कोऑर्डिनेटिंग एडिटर हैं अपर्णा कुरुप। उनका एक डिस्कशन का कार्यक्रम होता है। उसमें उन्होंने इस बयान की आलोचना की कि महिलाओं को क्यों ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो सार्वजनिक जीवन में आएँ, क्यों घर में रहना चाहिए। तो जेंडर इक्वालिटी का सवाल उठा दिया। अब उसके बाद तूफान सा आ गया। मौलाना अबू बकर ने भी एतराज किया, उनकी संस्था ने भी एतराज किया, उनके समाज ने भी एतराज किया कि ये हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाला है। अब जेंडर इक्वेलिटी की बात से उनकी भावना को कैसे ठेस पहुँची, ये कोई भला कैसे समझ सकते जैसे हिन्दू ईसाई या अन्य ध र्म की महिलायें है उसी के बराबर मुस्लिम महिलाएं भी हैं। ऐसा ही मानना चाहिए। आज मक्का शहर की महिलाएं फर्राटे से कार चला रहीं हैं। उसके बाद क्या था। तुरंत समर्पण कर दिया चैनल के मालिकों ने। अपर्णा कुरुप से कहा गया कि आप माफी माँगिए, उनको माफी माँगनी पड़ी। उसके बाद चौनल से और चैनल के जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे, उन सब से वो वीडियो हटा दिया गया। उन्होंने बताया कि केरल में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और मुस्लिम लीग के समर्थन से चल रही है। मुस्लिम लीग के पास 22 सीटें हैं, कांग्रेस का बहुमत नहीं है। तो मुस्लिम लीग के सहारे सरकार चल रही है। लेकिन सवाल ये है कि जो इस मौलाना ने बात कही है, उसे क्या स्वीकार किया जाना चाहिए? क्या भारत का संविधान ऐसा बोलने की अनुमति देता है? अगर यही बात किसी हिंदू धार्मिक नेता ने कही होती, तो सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों ने स्वत: संज्ञान ले लिया होता। ये हेट स्पीच है, ये जेंडर इक्वेलिटी के खिलाफ है, ये संविधान की भावना दोनों के खिलाफ है और तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई का आदेश दे दिया जाता। लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल उल्टा है। यहाँ सब सरेंडर है। अदालत की हिम्मत नहीं हो रही है कि इस पर कुछ बोले। छोटी-छोटी बातों का स्वत: संज्ञान लेकर अदालतें अपने फैसले सुनाती रहती हैं। इतनी बड़ी घटना!

और याद कीजिए, अभी राहुल गांधी का पूरा कार्यक्रम मनुस्मृति को गाली दे रहे थे, क्यों? क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा की बात की गई। उनके मुताबिक मनुस्मृति में कहा गया है कि महिलाएँ जो हैं, शादी से पहले अपने पिता के संरक्षण में रहती हैं, फिर भाई के संरक्षण में रहती हैं, शादी के बाद पति के संरक्षण में रहती हैं। तो "डिस्मैंटल पैट्रिआर्की", ये नारा दिया राहुल गांधी और उनके साथियों ने। लेकिन क्या मौलाना अबू बकर के बयान के बाद राहुल गांधी में, कांग्रेस पार्टी के किसी नेता में, यहाँ तक कि किसी महिला नेता में, सोनिया गांधी में, ये हिम्मत है कि बोल सके इसके खिलाफ?

एक उदाहरण तमिलनाडु से है। भारत के सबसे बड़े धर्माचार्य, शंकराचार्य कांची कामकोटी के शंकराचार्य, जिन्हें परमाचार्य की उपाधि मिली हुई थी, उनको झूठे हत्या के मामले में फँसाकर गिरफ्तार कर लिया। उस समय तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थीं, जयललिता भी हिंदू थीं, उनको कोई दिक्कत नहीं हुआ। इस बात पर कांग्रेस पार्टी में एतराज सिर्फ एक व्यक्ति ने किया और वो थे प्रणब मुखर्जी। उन्होंने वर्किंग कमेटी की मीटिंग में ये बात कही, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग में, जो शंकराचार्य के साथ हुआ है, और क्या किसी और मजहब के नेता के बारे में या किसी और मजहब के साथ ऐसा हो सकता था। ऐसे मामलों पर भी मोहन भागवत को मुखर होकर बातें रखनी चाहिए। क्योंकि भारत की कोई भी महिला भले किसी पंथ की हो उसे सम्मान आदर मिलने चाहिए। नारी सम्मान जहाँ होगा वही राष्ट्र विश्वगुरु बन सकता है। मोहन भागवत का ये कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही विवादों से घिर गया था क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने सार्वजनिक तौर पर इस कार्यक्रम का विरोध किया था। उन्होंने आरएसएस की विचारधारा को बहिष्कारवादी और न्यूयॉर्क शहर के बहुलतावादी विचारों के उलट बताया था। वैसे कार्यक्रम का विरोध प्रदर्शनों और धार्मिक स्वतंत्रता पर एक अमेरिकी आयोग के विरोध का भी सामना करना पड़ा है।●

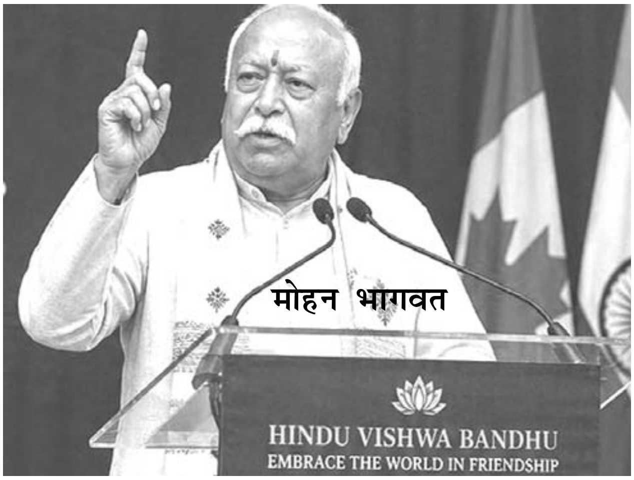

मोहन भागवत

भारत निर्वाचन आयोग देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने वाली सर्वोच्च संवैधानिक संस्था इस समय अपने इतिहास के सबसे गंभीर प्रशासनिक और नीतिगत गतिरोध का सामना कर रही है। द इंडियन एक्सप्रेस की एक विशेष जांच रिपोर्ट के अनुसार, जून 2025 में बिहार से शुरू हुए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान और आयोग के काम करने के तरीके को लेकर तीन-सदस्यीय चुनाव आयोग के भीतर गहरी दरार पैदा हो गई है। 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाए गए इस अभियान के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची से 13 करोड़ से अधिक नाम हटाए जाने पर पहले से ही राष्ट्रीय स्तर पर बहस छिड़ी हुई है। लेकिन अब आयोग के भीतर से ही प्रक्रियात्मक गड़बड़ियों और एकतरफा फैसलों पर गंभीर सवाल उठे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने ज्ञानेश को निशाने पर ले लिया है। सीजेपी (CJP) ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर 2.0 की चेतावनी दी है।

गौरतलब है कि तीन-सदस्यीय आयोग के दो सदस्यों-चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और चुनाव आयुक्त विवेक जोशी ने आयोग द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों पर पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार लिखित रूप से आधिकारिक आपत्तियां दर्ज कराई हैं। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कई मौकों पर एक ही दिन में चार-चार बार असहमति के नोट लिखे गए। चुनाव आयुक्त संधू ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और उप चुनाव आयुक्तों को भेजे पत्र में स्पष्ट लिखा कि दो आयुक्तों की लिखित सलाह की अनदेखी कर की गई कार्रवाई अनधिकृत और अवैध है। जब आयोग के आईटी ढांचे में दोनों आयुक्तों को अंधेरे में रखकर बदलाव किए गए, तो संधू और जोशी ने परंपरा से हटकर सीधे कैबिनेट सचिव से शिकायत दर्ज कराई। इस बड़े गतिरोध के बाद ही 9 सितंबर को चार महीनों में पहली बार 'पूर्ण आयोग' की बैठक बुलाई जा सकी।

विदित हो कि जुलाई 2025 में नए मतदाताओं के पंजीकरण फॉर्म-6 में एक नई शर्त जोड़ दी गई। आवेदकों से पूछा गया कि क्या वे या उनके अभिभावक पिछली SIR की मतदाता सूची में थे। इसके बिना आवेदन जमा ही नहीं हो सकता था। वही मई 2025 में ही चुनाव आयुक्त जोशी और संधू ने लिखा था कि केंद्र सरकार द्वारा नियमों में औपचारिक संशोधन किए बिना फॉर्म-6 का प्रारूप नहीं बदला जा सकता। इसके बावजूद बदलाव

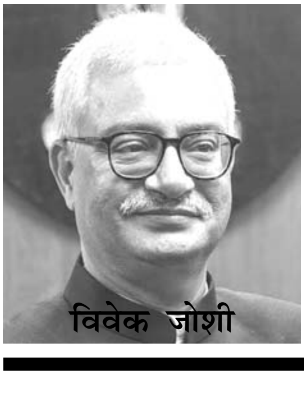
विवेक जोशी

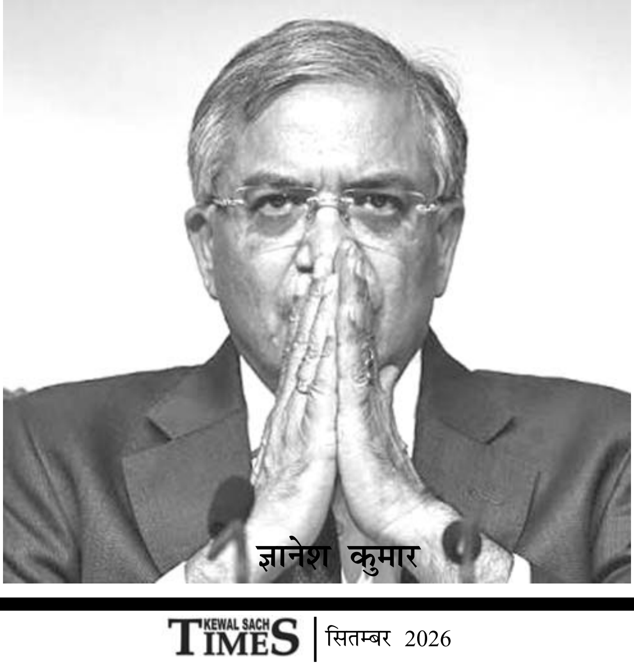
ज्ञानेश कुमार

सुखबीर सिंह संधू

दिल्ली में मतदाता सूची के चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत कई प्रमुख मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। चुनाव अधिकारियों के मुताबिक, मतदाताओं की ओर से जमा कराए गए एन्यूमरेशन फॉर्म में कुछ विसंगतियां मिलने के बाद ये नोटिस जारी किए गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मतदाता प्रविष्टि को अब वैलिडेट कर दिया गया है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार, उनका नाम शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र की अंतिम मतदाता सूची में शामिल रहेगा। अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित होने वाली है। अधिकारियों के अनुसार रेखा गुप्ता की प्रविष्टि को एन्यूमरेशन फॉर्म में दी गई जानकारी के आधार पर 'लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी' वाली सूची में शामिल किया गया था। उन्हें उम्र से संबंधित एक विसंगति के कारण नोटिस जारी हुआ था। बाद में उनकी मतदाता प्रविष्टि को वैध कर दिया गया। दिल्ली के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल और बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल समेत कई अन्य प्रमुख मतदाताओं को भी नोटिस जारी किए गए हैं। वही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को 'लास्ट SIR से अनमैप्ड' होने के आधार पर नोटिस जारी किया गया है। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, माता-पिता और बेटे को भी इसी कारण नोटिस दिए जाने की जानकारी सामने आई है। केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं। नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए AAP के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने सवाल उठाया कि तीन बार दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार के नाम दिल्ली की मतदाता सूची से गायब करने की कैसी प्रक्रिया है? यह बयान AAP की ओर से दिया गया राजनीतिक आरोप है; चुनाव अधिकारियों की ओर से SIR के तहत नोटिस को मतदाता रिकॉर्ड के सत्यापन और विसंगतियों से जोड़कर बताया गया है। वही राज्यसभा सांसद और नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के मतदाता कपिल सिब्बल को भी पिछली SIR से उनकी प्रविष्टि के मैप न होने के कारण नोटिस जारी किया गया है। वहीं दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बताया कि उन्हें नाम से जुड़ी विसंगति के कारण नोटिस मिला है। उन्होंने कहा कि जरूरी दस्तावेजों के माध्यम से इसे ठीक कराया जाएगा। सचदेवा के मुताबिक, उनकी पत्नी और भाई का नाम भी नोटिस पाने वाले मतदाताओं में शामिल है। बता दें कि दिल्ली में SIR के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल करीब 33.13 लाख मतदाताओं को उनके एन्यूमरेशन फॉर्म में सामने आई विसंगतियों को लेकर नोटिस भेजे जाने हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अब तक करीब 31.63 लाख मतदाताओं को नोटिस भेजे जा चुके हैं। इनमें बड़ी संख्या ऐसे मतदाताओं की है, जिनके रिकॉर्ड पिछली SIR से लिंक या मैप नहीं हो पाए हैं। दिल्ली में पिछली विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के रिकॉर्ड वर्ष 2002 से संबंधित हैं। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के मुताबिक, SIR के दावे और आपत्तियों के चरण के दौरान संबंधित मतदाताओं को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया जा रहा है। नोटिस पाने वाले मतदाताओं को संबंधित विधानसभा क्षेत्र के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) के सामने जवाब और जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे।

अधिकारियों के मुताबिक, इसके लिए 29 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। SIR का उद्देश्य मतदाता सूची में दर्ज जानकारी का सत्यापन और जरूरी सुधार करना है। दिल्ली CEO कार्यालय ने यह भी कहा है कि प्रमुख मतदाताओं समेत ऐसे नाम जिन्हें पहले चुनावी डेटाबेस में फ्लैग किया गया था, उन्हें ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किया गया है, ताकि दावे-आपत्तियों के चरण में आवश्यक दस्तावेज जुटाए जा सकें। दिल्ली में SIR की प्रक्रिया के संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने पहले भी मतदाताओं को 2002 की पिछली SIR सूची में अपने या रिश्तेदारों के विवरण की जांच करने की जानकारी दी थी।

गौरतलब है कि दिल्ली में मतदाता सूची के चल रहे SIR के दौरान पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, चुनाव आयुक्त एसएस संधू, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत कई प्रमुख मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। चुनाव अधिकारियों के मुताबिक, मतदाताओं की ओर से जमा कराए गए एन्यूमरेशन फॉर्म में कुछ विसंगतियां मिलने के बाद ये नोटिस जारी किए गए हैं। दिल्ली में SIR के बाद 97 लाख से ज्यादा वोटर्स की ड्राफ्ट लिस्ट जारी की गई है। इसमें करीब 33.13 लाख वोटर्स के रिकॉर्ड में किसी न किसी तरह की गड़बड़ी या अंतर मिला है। इन्हें नोटिस जारी किए जा रहे हैं। ज्यादातर मामले ऐसे हैं, जिनमें मौजूदा वोटर की जानकारी का 2002 में हुए पिछले SIR की वोटर लिस्ट से मिलान नहीं आ पाया है। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि नोटिस मिलने का मतलब यह नहीं है कि किसी का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा। नोटिस पाने वाले लोगों को अपनी बात रखने और जरूरी दस्तावेज देने का मौका मिलेगा। बता दें कि पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, उनकी बेटी प्रतिभा और बहू गीतिका को SIR के तहत नोटिस मिला है। इन तीनों के मौजूदा रिकॉर्ड का 2002 की वोटर लिस्ट से मिलान नहीं हो पाया। हालांकि एल.के. आडवाणी के बेटे जयंत के रिकॉर्ड का मिलान हो गया है। परिवार के सभी चार सदस्य नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के वोटर हैं। वही विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनकी पत्नी क्योको जयशंकर को भी नोटिस मिला है। दोनों के रिकॉर्ड को Unmapped with Last SIR कैटेगरी में रखा गया है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी सुदेश को भी नोटिस दिया गया है।

विदित हो कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू का नाम भी इस लिस्ट में आया है। अधिकारियों के मुताबिक उन्होंने SIR फॉर्म में अपना नाम 'डॉ. एस.एस. संधू' लिखा है, जबकि वोटर लिस्ट में उनका नाम 'सुखबीर सिंह संधू' दर्ज है। हालांकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मतदाता प्रविष्टि को अब वैलिडेट कर दिया गया है। उन्हें उम्र से संबंधित एक विसंगति के कारण नोटिस जारी हुआ था। ज्ञात हो कि दिल्ली के पूर्व भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल और बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल समेत कई अन्य प्रमुख मतदाताओं को भी नोटिस जारी किए गए हैं। पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री और AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल को 'लास्ट SIR से अनमैप्ड' होने के आधार पर नोटिस जारी किया गया है।

लागू कर दिया गया, जिसे संधू ने अगस्त में अवैध ठहराते हुए हटाने की मांग की। बता दें कि भारत में मतदाता सूची तैयार करने का काम कानूनन विकेंद्रीकृत होता है, जिसकी जिम्मेदारी उप-विभागीय मजिस्ट्रेट/एसडीएम स्तर के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी की होती है। मई 2025 में जोशी ने चेताया कि मतदाता डेटाबेस ERONet का क्रमिक केंद्रीयकरण किया जा रहा है। अगस्त में संधू ने लिखा कि राज्यों के अधिकारियों की ERONet तक पहुंच सीमित कर दी गई है और आईटी विभाग की महानिदेशक को वैधानिक अधिकारियों के कानूनी अधिकार छीनने का कोई हक नहीं है।

ज्ञात हो कि पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया के तहत 294 में से 49 सीटों पर हटाए गए मतदाताओं की संख्या जीत-हार के अंतर से अधिक थी। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद न्यायिक जांच में जब 22.21 लाख हटाए गए नाम बहाल हुए, तो आयोग ने ट्रिब्यूनल में लाखों अपीलें

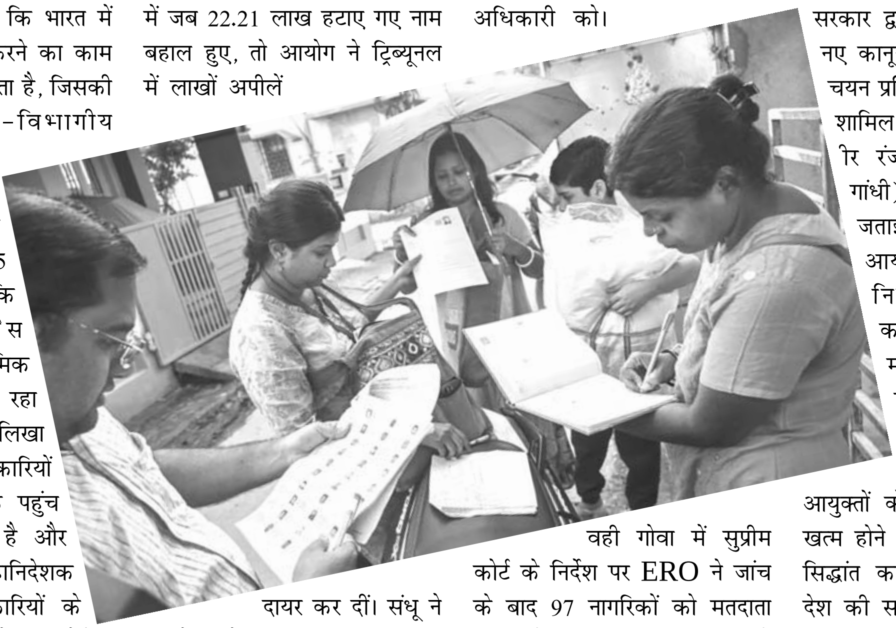

दायर कर दीं। संधू ने आयोग से सीधा तीखा सवाल पूछा-ECI की ओर से न्यायिक अधिकारियों के फैसलों के खिलाफ अपील दायर करने का अधिकार किसने दिया और ये अपीलें किसने दायर कीं? इस प्रक्रिया की जानकारी न तो दोनों आयुक्तों को थी और न ही राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को।

वही गोवा में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ERO ने जांच के बाद 97 नागरिकों को मतदाता सूची के लिए पात्र पाया। बता दें कि ERONet सॉफ्टवेयर में हटाए गए नामों को वापस जोड़ने का कोई तकनीकी विकल्प ही नहीं था। राज्य चुनाव कार्यालय द्वारा वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त और आईटी प्रमुख को 8 बार पत्र लिखे जाने के बावजूद सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया गया और वे 97 पात्र नागरिक अंतिम मतदाता सूची से बाहर हो गए।

बहरहाल, सर्वसम्मति का सिद्धांत क्या कहता है? संविधान के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों की शक्तियां और दर्जा पूरी तरह समान हैं। CEC केवल 'समान सहयोगियों में प्रथम' होते हैं, उनके पास एकतरफा निर्णय लेने का एकाधिकार नहीं है। वही मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 की धारा 18 स्पष्ट करती है कि आयोग का सारा कामकाज जहाँ तक संभव हो सर्वसम्मति से चलेगा। मतभेद होने पर ही निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जा सकता है। अप्रैल में संधू और जोशी दोनों ने अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए थे कि आयोग की औपचारिक मंजूरी के बिना कोई भी नीतिगत आदेश जारी न किया जाए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि तीनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एनडीए सरकार द्वारा 2023 में बनाए गए नए कानून के तहत हुई थी। इस चयन प्रक्रिया पर चयन समिति में शामिल विपक्ष के नेताओं (अधीर रंजन चौधरी और राहुल गांधी) ने पहले ही असहमति जताई थी। भारत निर्वाचन आयोग की साख उसकी निष्पक्षता, पारदर्शी कार्यप्रणाली और संवैधानिक मर्यादाओं के पालन पर टिकी है। जब संस्था के भीतर ही मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों के बीच परस्पर विश्वास खत्म होने लगे और सर्वसम्मति के सिद्धांत का उल्लंघन हो, तो यह देश की संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि आयोग के भीतर निर्णय प्रक्रिया कानून के दायरे में, पारदर्शी और सर्वसम्मति पर आधारित हो।

Opposition leaders meets over SIR row

A meeting of the INDIA bloc, the Congress-led alliance of opposition parties, is underway at the Constitution Club in New Delhi on Wednesday, where opposition leaders are expected to discuss the Election Commission of India's (ECI) Special Intensive Revision (SIR) of voter lists and the furor surrounding India's Chief Election Commissioner, Gyanesh Kumar, that has gripped the nation in recent days.

Mallikarjun Kharge, the president of India's main opposition Congress party, called for the roll back of the SIR, a hotly debated exercise to verify hundreds of millions of Indian voters, that began last year. Kharge said that the "ballot belongs to the people" and the principle of "one, person, one vote, one value" in Indian democracy was under a "serious threat."

"It is shocking that as many as 13.3 Crore (133 million) voters have blatantly been removed from voter list. Their power to take part in a DEMOCRACY has been snatched. It is ordinary voters who should be deciding who comes to power rather than those who are in power," he said.

Why India's poll body chief is under scrutiny

Wednesday's meeting comes after an investigative report by the Indian Express published last week said that there were differences within the Election Commission of India over decisions related to the SIR.

The report stirred a political storm, with protests calling for the resignation of the poll body's chief, Gyanesh Kumar, for allegedly undermining the ECI's credibility.

According to the Indian Express, Kumar's fellow election commissioners, Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi, raised at least 14 formal objections over 10 months regarding voter registrations, deletions and restorations, as well as control of electoral-roll data, but those concerns were not taken into consideration. The report said that in one objection, one of the commissioners complained that the ECI acted against the written advice of two commissioners and claimed its action was "unauthorized and illegal."

The ECI has deemed all its decisions lawful, saying that differing views were a routine "part of decision-making." The three-member commission, comprising Kumar, Sandhu and Joshi, oversees the SIR, which the poll body says removes deceased, relocated and duplicate voters and also prevents the inclusion of "foreign illegal immigrants." However, opposition parties and critics allege that the exercise has gone beyond that remit and removed millions of eligible voters to the benefit of Indian Prime Minister Narendra Modi's ruling Bharatiya Janata Party (BJP).

Congress demands CEC Kumar's resignation

On Wednesday, Kharge also called for the removal or resignation of Kumar, saying that there could be no credible election without an "independent and impartial" election body. He said that the ECI head's "very integrity" and "intentions" were under question. Last week, Congress carried out demonstrations across the country demanding Kumar's resignation. Pressure group Cockroach Janata Party (CJP), which claims millions of supporters, said that it would launch nationwide protests on October 2 if Kumar does not step down.

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर घमासन शुरू तकरीबन हो ही चुका है। बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जीत के लिए बूथस्तर पर तैयारियां करनी होगी, ऐसे में बीजेपी ने हर बार की तरह इस बार भी बूथ लेवल मैनेजमेंट शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बीजेपी की नजर इस बार 18 हजार 900 उन बूथों पर है, जहां 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन दो साल बाद हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में उसे इन बूथों पर हार का सामना करना पड़ा। अब इन हारे हुए बूथों पर दोबारा जीत कैसे दर्ज की जाए, इसे लेकर बीजेपी की रणनीति क्या रहने वाली है, इस पर फोकस किया जा रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी के यूपी प्रभारी विनोद तावड़े 16 सितंबर से 22 सितंबर तक उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उन क्षेत्रों पर खास फोकस रहेगा, जहां पार्टी को पिछली बार हार मिली थी। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश से बड़ा झटका लगा था। पार्टी राज्य में महज 33 सीटें जीत पाई थी, जबकि 2019 में उसने 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं, समाजवादी पार्टी ने अपनी सीटों की संख्या बढ़ाकर 37 कर ली थी, जबकि 2019 में उसे महज पांच सीटें मिली थीं। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका ग्रामीण क्षेत्रों में लगा था, जहां वह करीब 80 फीसदी बूथों पर अपनी बढ़त गंवा बैठी थी। अवध और पूर्वांचल में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिला। 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो अवध क्षेत्र की 154 सीटों में से बीजेपी ने 101 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं, पूर्वांचल की 102 सीटों में से 53 सीटें बीजेपी के खाते में गई थीं। हालांकि, अयोध्या, फैजाबाद, सुल्तानपुर और सीतापुर जैसे इलाकों में पार्टी को काफी नुकसान हुआ। इसी तरह पूर्वांचल में गैर-ओबीसी वोटों का एक हिस्सा समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ, जिसका असर जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, प्रयागराज जैसे इलाकों में भी देखने को मिला। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड की बात करें तो 128 सीटों में से बीजेपी ने 2022 में 87 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि, 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी सिर्फ 65 सीटों पर बढ़त बना पाई थी। बुंदेलखंड की बात करें तो 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी सिर्फ 9 सीटों पर अपनी बढ़त बना पाई।

गौरतलब है कि दूसरी ओर 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली बड़ी सफलता के बाद समाजवादी पार्टी (सपा) के मुखिया अखिलेश यादव इस बार कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते। सपा ने चुनाव जीतने के लिए एक अनोखा और बड़ा प्लान तैयार किया है। इस रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश के लिए एक मुख्य घोषणापत्र तो जारी करेगी ही, साथ ही उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के लिए 75 अलग-अलग लोकल मैनिफेस्टो (जिलावार घोषणापत्र) भी लेकर आएगी। हालांकि इसके पीछे भी योगी सरकार की एक योजना की प्रेरणा है। यूपी सरकार एक जिला, एक उत्पाद स्कीम चला रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि 'एक जिला, एक घोषणापत्र' का फॉर्मूला चुनावों से पहले हर जिले के हिसाब से खास वादे करने में मदद करेगा। हालांकि उनका यह प्लान कितना कारगर होगा, यह चुनाव परिणाम ही बताएंगे। फिलहाल अखिलेश यादव का मानना है कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में हर क्षेत्र की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्राथमिकताएं एक जैसी नहीं हो सकतीं। उनके मुताबिक गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) के युवाओं की प्राथमिकताएं आईटी और औद्योगिकीकरण से जुड़ी हो सकती हैं, जबकि बुंदेलखंड के लोगों के

लिए सिंचाई और पलायन बड़ा मुद्दा है। पूर्वांचल में रोजगार और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की दरकार है, तो वहीं पश्चिमी यूपी में कृषि, चीनी मिलों और स्थानीय विनिर्माण के मुद्दे अहम हैं।

प्रदेश स्तर के वादों से आगे बढ़कर अब सपा अपने स्थानीय कार्यकर्ताओं के जरिए जिलावार डेटा जुटा रही है कि कहां कौन से प्रोजेक्ट्स ठप पड़े हैं, पेपर लीक से किस जिले का युवा परेशान है और किस इलाके में किस तरह की नौकरी के मौके चाहिए। हाल ही में अखिलेश ने कहा था कि जब यूपी की राजधानी लखनऊ में पुलिस थाने के ठीक सामने हत्या हो रही हो, तो ऐसा लगता है कि वे गुंडे और माफिया यूपी छोड़कर नहीं गए हैं, वे सत्ता और प्रशासन की मिलीभगत से बीजेपी दफ्तरों या पुलिस स्टेशनों में पनाह पाकर खास मेहमानों की तरह रह रहे हैं। उल्लेखनीय है कि 2017 के यूपी विधानसभा चुनावों में सपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था और अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने 10-सूत्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम जारी किया था, जिसमें सत्ता में आने पर विकास के साझा लक्ष्यों की रूपरेखा बताई गई थी। हालांकि दोनों पार्टियों ने अपने-अपने अलग घोषणा पत्र भी जारी किए थे। वहीं, इसी तरह 2019 में, सपा ने बसपा के साथ गठबंधन किया। उस समय दोनों ही पार्टियों ने अलग-अलग घोषणा पत्र जारी किए थे।

विदित हो कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक बिसात बिछने लगी है। ऐसे वक्त में मिर्जापुर, संतकबीरनगर और देवरिया जैसे उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिलों की कमान संभाल चुकीं 2013 बैच की चर्चित आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल का इस्तीफा केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है। 15 सितंबर 2026 से

प्रशासनिक जिम्मेदारियों से मुक्त होने के बाद उनके अगले कदम को लेकर सियासी और प्रशासनिक गलियारों में अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि यह फिलहाल अटकलें ही हैं, लेकिन उन्होंने एक्स पर अपनी ताजा पोस्ट में लिखा है- मेरा आईएएस से

त्यागपत्र स्वीकार हो गया है। 'प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो'।

उत्तर प्रदेश कैडर की तेजतर्रार आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही 15 सितंबर 2026 से सभी प्रशासनिक दायित्वों से पूरी तरह मुक्त हो गई हैं। दिव्या मित्तल ने 30 अगस्त 2026 को व्यक्तिगत कारणों, पारिवारिक प्राथमिकताओं और जीवन के नए लक्ष्यों का हवाला देते हुए स्वैच्छिक इस्तीफा दिया था, जिसे राज्य सरकार की सिफारिश के बाद केंद्र ने स्वीकृति दे दी। दिव्या ने एक्स पर अपना बायो भी बदल लिया है। उन्होंने वहां खुद को एक्स-आईएएस, एक्स डीएम देवरिया, मिर्जापुर और संतकबीर नगर लिखा है। इसके साथ ही उन्होंने खुद को वॉल स्ट्रीट ट्रेडर भी लिखा है। ज्ञात हो कि 23 नवंबर 1983 को हरियाणा के रेवाड़ी में जन्मी दिव्या मित्तल की शैक्षणिक पृष्ठभूमि बेहद प्रभावशाली रही है। उन्होंने देश के शीर्ष संस्थानों-आईआईटी दिल्ली से बीटेक और आईआईएम बेंगलुरु से एमबीए की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने अपने पति गगनदीप सिंह ढिल्लों के साथ लंदन में लाखों रुपए के पैकेज वाली कॉरपोरेट नौकरी की। हालांकि, दोनों ने ही विदेश की नौकरी छोड़कर भारत लौटने और संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी करने का फैसला किया। दिव्या ने 2013 में यूपीएससी की परीक्षा पास की, जबकि उनके पति गगनदीप 2011 बैच के भारतीय व्यापार सेवा (ITS) अधिकारी बने। उन्होंने भी 2022 में सरकारी सेवा छोड़ दी थी।

गौरतलब है कि आईएएस बनने के बाद दिव्या मित्तल की पहली तैनाती मेरठ में संयुक्त मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। इसके बाद उन्होंने गौतमबुद्ध नगर में सीडीओ, कानपुर नगर में यूपीसीडा की संयुक्त प्रबंध निदेशक, बरेली विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष और यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी में सीईओ के रूप में काम किया। संतकबीरनगर, मिर्जापुर और देवरिया जिलों में बतौर कलेक्टर कार्य करते हुए उन्होंने अपनी कार्यशैली की अलग छाप छोड़ी। बहरहाल, इस्तीफा स्वीकार होने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल उनके राजनीतिक सफर को लेकर उठ रहा है। प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि वह मिर्जापुर से आगामी यूपी विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। इस्तीफे के दौरान भी उन्होंने सोशल मीडिया (एक्स और फेसबुक) पर मिर्जापुर के लहुरिया दह गांव का जिक्र किया था, जहां उन्होंने पहली बार नल से पानी पहुंचाया था। उन्होंने भावुक पोस्ट में लिखा था, आज आभार से आंखें नम हैं। बस एक दृश्य इनमें बसा है-लहुरिया दह की पहाड़ी की वो वृद्ध मां, जो अपने गांव में पहली बार पानी पहुंचता देख कुछ नहीं बोलीं, बस कांपते हाथों से मेरा सिर छूकर आशीर्वाद दे गई। पद तो आज छूट गया, पर वह स्पर्श जीवन भर नहीं छूटेगा। दिव्या के इस भावनात्मक जुड़ाव और सार्वजनिक सक्रियता को उनके भावी राजनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि इस बात का फिलहाल कोई खुलासा नहीं हुआ है कि वे किस दल से चुनाव मैदान में उतरेंगी।

Nithari Case Accused Surendra Koli Found Hanging at Tea Stall in Haridwar

Surendra Koli, who was accused in the infamous Nithari case, was found dead at a tea stall he had been running in Haridwar on Friday, police said. According to the police, the incident is currently being treated as a suspected suicide, although the exact circumstances of Koli's death are being investigated. Koli had reportedly been staying in Haridwar for some time and had recently taken a tea stall on rent. His body was discovered at the stall located in front of Lal Mata Temple on Sapt Sarovar Road in Bhupatwala, northern Haridwar.

Police received information in the morning that a man had allegedly hanged himself at the tea stall. Personnel from the Saptarishi Police Outpost subsequently reached the location and took the body into custody. The deceased was identified as Surendra Koli, a native of Mangrukhal village in the Bhikiasain area of Almora district. His family was informed following the incident. A forensic team also visited the spot and examined the scene. Investigators are examining the evidence collected from the location as part of the probe.

Shishupal Singh Negi, CO City, Haridwar, said, "A person's body has been found. It has been ascertained that the deceased was Surendra Koli, who, as per the information available so far, was an accused in the Nithari case. He had been living here for some time and was running a tea stall on rent." He added, "Police received information this morning that a person had allegedly hanged himself. Our forensic team reached the spot. A panel will conduct the post-mortem examination. Based on the evidence found at the spot, further information will be shared with you." Negi said the body remained in police custody while the panchanama and post-mortem formalities were being carried out.

"At present, it appears to be a case of suicide. The body is in police custody, and the panchanama and post-mortem proceedings are underway. The matter is still under investigation, and whatever emerges from the investigation will be shared accordingly," he said. As part of the investigation, police are examining various aspects of the incident. CCTV footage from nearby areas is also being reviewed, while people who had been in contact with Koli are being questioned.

What was the Nithari case?

Koli was employed as a domestic help at the Noida residence of businessman Moninder Singh Pandher and was subsequently acquitted in several cases linked to the Nithari killings. The case came to light in 2006 after skeletal remains, skulls and bones were recovered from the backyard and drains near Pandher's bungalow, D-5, in Sector 31, Noida. The discovery led to the unravelling of the disappearance and killings of several children and women, triggering widespread outrage and fear in the local community. Pandher, who was also an accused in the case, spent years in jail before being acquitted and released on October 20, 2023. Koli was 30 when he was arrested in 2006 and was handed multiple death sentences in different cases over the years.

इंदौर में राहुल गांधी का 'छात्रों की गूंज' आयोजन में युवाओं की जबर्दस्त भीड़ उमड़ी। कांग्रेस ने इंदौर में इतनी बड़ी संख्या में भीड़ जमा कर एक तरह से इतिहास रच दिया। युवाओं में आयोजन को लेकर जबर्दस्त उत्साह नजर आया। जितनी भीड़ डोम के अंदर जमा हो चुकी थी, उससे कहीं ज्यादा बाहर से अंदर आने वाले इंतजार करते रहे। भीड़ ज्यादा होने की वजह से कई लोगों को बाहर रोककर रखना पड़ा। इस बीच वॉलेंटियर और आम लोगों के बीच जमकर विवाद हुए। कई लोगों ने बगैर एंट्री पास के भीतर घुसने की कोशिश की। शाम 5 बजे तक राहुल आयोजन स्थल तक नहीं पहुंचे, उसके पहले ही आईडीए ग्राउंड हाउसफुल हो गया था। आयोजन को लेकर इस कदर उत्साह और भीड़ जमा हुई कि रजिस्ट्रेशन विंडो पर पैर रखने की जगह नहीं बची। आलम था कि एंट्री पास ही खत्म हो गए, सैकड़ों लोग नेताओं, अधिकारियों और रसूखदार लोगों की मदद लेते नजर आए। राहुल के आने से पहले युवाओं के उत्साह और जोश को संभालने के लिए बार बार अपील करना पड़ी। बीच में कई बार लाइव कंसर्ट को रोकना पड़ा। पंडाल में इतनी ज्यादा भीड़ हो चुकी थी कि कई लोगों और युवाओं ने वापस बाहर निकलने की कोशिश की। शाम साढ़े पांच बजे तक लोग अंदर आने के लिए कोशिशें करते रहे। राहुल गांधी के मंच पर पहुंचने से पहले लाइव कंसर्ट ने युवाओ में जोश भर दिया। इंदौर के लश्करी और उनकी

टीम ने हिपहॉप और रैप सॉन्ग की प्रस्तुति दी। जिस वक्त बाहर से अंदर आने के लिए लोग कवायद करते रहे, ठीक उसी वक्त अंदर कई बार म्यूजिक के आयोजन को रोकना पड़ा। भीड़ ज्यादा होने और दम घुटने जैसी स्थिति की आशंका के साथ कुछ लोगों को बाहर जाने के लिए भी कहा गया। राहुल गांधी के आयोजन स्थल पर आने की अपील सुनते ही कई छात्र बेकाबू हो गए। आयोजन को लेकर कांग्रेस ने जो उम्मीद की थी और घोषणा की थी, ठीक वही हुआ। आयोजन स्थल पर रिकॉर्ड आंकड़े के साथ रजिस्ट्रेशन देखने को मिला। उज्जैन, देवास, भोपाल, धार, बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर, शाजापुर, रतलाम समेत बड़ी संख्या में युवा और लोग यहां पहुंचे। मंच पर जितनी भी प्रस्तुतियां हुई उन्हें राहुल गांधी के तमाम भाषणों के साथ सिंक कर के जबरदस्त आकर्षक बना दिया गया। राहुल के नीट लीक, छात्रों के भविष्य और देश में लोकतंत्र को लेकर दिए गए भाषण को म्यूजिक के साथ सिंक कर प्रस्तुत किया गया। शाम 6 बजे तक राहुल आयोजन स्थल पर नहीं पहुंच सके थे, उसके पहले कार्यक्रम अपने उरूज पर देखा गया। बाहर बड़ी संख्या में भीड़ अंदर आने के लिए इंतजार करती रही।

विदित हो कि मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले की सपना गुजरे ने राहुल से बात की। उन्होंने कहा-बीजेपी सरकार कोर्ट का हवाला देकर हमारी सारी नियुक्तियों को होल्ड कर देती है। सपना ने बताया कि उसने दो एग्जाम पास कर रखी हैं, लेकिन अभी भी बेरोजगार हैं। सरकार ने कई क्षेत्रों में स्टे लगा रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार मध्यप्रदेश सरकार को फटकार लगाई, लेकिन जूं तक नहीं रेंगती उनके कान में। राहुल ने अलग-अलग जिलों के छात्र-छात्राओं को मंच पर बुलाया। विद्यार्थियों ने कहा कि पिछले 8 साल से सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल आपको न्याय का देवता कहा जाता है, हमें अब आप ही न्याय दिलाएं। याशिका दानी नर्सिंग स्टूडेंट ने कहा कि वो थर्ड ईयर में है, लेकिन आज तक न

तो रिजल्ट आया है न डिग्री मिली है। भोपाल में इसे लेकर आंदोलन किया, मैं बहुत उम्मीद के साथ यहां आपके सामने आई हूं, मेरे पापा अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे मेरा नर्सिंग कोर्स, इसलिए मैंने कॉल सेंटर में काम किया और एडमिशन लिया था, लेकिन अब तो फ्यूचर बनाना ही मुश्किल हो गया है। राहुल गांधी ने कहा कि इस सिस्टम में टॉप लेवल पर नरेंद्र मोदी बैठे हैं, ये सिस्टम को चलते हैं, बच्चों पर लाठियां चलवाते हैं। अमित शाह इस सिस्टम को लागू करते हैं, अजीत डोभाल फोन टैपिंग करवाते हैं। मोहन भागवत का संघ देश की यूनिवर्सिटियां चलाते हैं, अदानी इस पूरे सिस्टम को फाइनेंस करते हैं। यह फाइनेंस नरेंद्र मोदी की मार्केटिंग करने के लिए किया जाता है। हर सिस्टम में सरकार ने अपना एक आदमी बिठा रखा है। कपिल देव हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, लेकिन सिस्टम ने अमित शाह के बेटे को क्रिकेट में बैठा रखा है, अमित शाह ने अपने बेटे को पूरा क्रिकेट दे रखा है। सिर्फ दो लोग सिस्टम को चला रहे हैं। स्टूडेंट पूछता है कि आखिर कैसे सिर्फ दो लोग इस देश के सिस्टम को चला रहे है। स्टूडेंट पूछता है, लेकिन कोई जवाब नहीं है, क्योंकि अंधभक्त अपनी दुनिया में रहता है, वो सवाल नहीं पूछने देता। स्टूडेंट मोहब्बत की बात करता है, वहां अंधभक्त नफरत फैलाता है। स्टूडेंट महिला की इज्जत करता है, वहां अंधभक्त महिला का अपमान करता है। सिस्टम नहीं चाहता कि कोई सवाल पूछे, इसलिए सिस्टम अंधभक्त को तैयार करता है। देखिए, अंधभक्त कहता है कि विकास नहीं चाहिए, मोदी जी विष्णु का अवतार हैं। अंधभक्त सवाल नहीं पूछता कि हमारे स्कूलों की हालत ऐसी क्यों हो गई, नीट पेपर क्यों लीक हो रहे हैं, स्टूडेंट क्यों मर रहे हैं राजधानी में? मनावर के एक स्टूडेंट ने बताया कि बैकलॉग में भर्तिया पेंडिंग पड़ी हैं। देवास से आए रणदीप ने राहुल को बताया कि मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग के सामने हमने विरोध किया अपनी मांगों को लेकर। सीएम मोहन यादव ने हमें बुलाया और कहा कि आपकी मांगें मान लेंगे, लेकिन दो दिन बाद उन्होंने हमें जेल में डाल दिया। व्यापम तो बना ही मध्यप्रदेश में घोटाले के लिए है। इसमें किसी भी आरोपी को आज तक नहीं पकड़ा गया। पटवारी घोटाला हुआ, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। जांच आयोग बनाया गया और कहा गया कि हम भर्ती करेंगे, लेकिन इन्होंने अचानक पता नहीं कब भर्ती कर दी। इंदौर को, इंदौर के कोचिंग को हम स्टूडेंट से रोजगार मिलता है, लेकिन हम स्टूडेंट को रोजगार नहीं मिलता। भोपाल से माखनलाल यूनिवर्सिटी से आए एक स्टूडेंट ने राहुल को अपनी तकलीफ बताई। स्टूडेंट ने कहा कि 2029 में या तो राहुल गांधी पीएम बन जाए या हम स्टूडेंट ही ठिकाने लग जाएं। राहुल ने कहा कि शिक्षा देश की नींव है, लेकिन इस सिस्टम ने इस नींव को ही हिला दिया है। मेरे पास आंकड़े हैं कि देश की शिक्षा कैसे बर्बाद हो रही है। राहुल ने ग्राफ दिखाकर बताया कि आज देश में दस लाख टीचर के पद खाली पड़े हैं। स्कॉलर का पैसा कहां जा रहा है किसी को नहीं पता है। उज्जैन से आई स्टूडेंट ने बताया कि हम किराए से रहते हैं, आवास भत्ता योजना की हालात खराब है, किराया लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस वर्ग के लोगों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। हॉस्टल में हम लोगों के लिए सीटें नहीं हैं। जब आप एक रुपए में हजारों एकड़ जमीन दे सकते हैं तो एक रुपए में शिक्षा क्यों नहीं दे सकते हैं। एक स्टूडेंट ने कहा कि मध्यप्रदेश में आदिवासी वर्ग की हालत खराब है। राहुल गांधी ने कहा कि एक लाख सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। इनमें से यह 55 प्रतिशत स्कूल मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश से बंद होते हैं। जब सरकार शिक्षा में कम पैसा डालती है तो सिस्टम खराब होता है, स्टूडेंट खतरे में आता है। दिल्ली में हॉस्टल हादसे में मारे गए देवास के स्टूडेंट के परिजनों

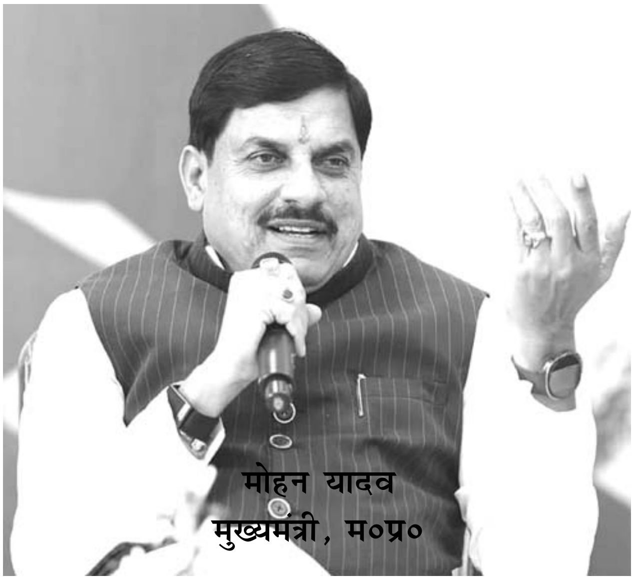

मोहन यादव
मुख्यमंत्री, म०प्र०

को राहुल ने स्टेज पर बुलाया। राहुल गांधी ने मृतक स्टूडेंट के पिता को गले लगाया। स्टूडेंट के परिवार ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि जब वो अपने बेटे का शव लेने दिल्ली गए तो कैसे दिल्ली सरकार ने उन्हें बिल्कुल सहयोग नहीं किया। राहुल ने करीब डेढ़ घंटे छात्रों से संवाद किया।

गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का इंदौर कार्यक्रम 'छात्रों की गूंज' श्रृंखला का पांचवां कार्यक्रम था। इससे पहले कांग्रेस की ओर से इस अभियान के तहत कोटा, देहरादून, प्रयागराज और पुणे में कार्यक्रम किए गए थे। राहुल गांधी के कार्यक्रम के बाद सियासी घमासान तेज हो गया। भाजपा ने आरोप लगाया कि नेता प्रतिपक्ष के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मां का अपमान किया गया। बीजेपी ने दावा किया है कि राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम में पीएम मोदी का मजाक उड़ाया गया। बीजेपी नेताओं ने दावा किया है कि कार्यक्रम में बिना वजह पीएम मोदी का स्वर्गीय मां को भी खींचा गया। भाजपा ने कहा कि मंच समस्या बताने वाले छात्र फर्जी थे। वे पार्टी के ही पदाधिकारी थे। भाजपा ने एक्स पर कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बुजुर्ग मां के प्रति सम्मान और स्नेह दिखाया, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने अपने कार्यक्रम में उनका मजाक उड़ाया। यही मूल्यों की राजनीति और दिखावे की राजनीति के बीच का अंतर है। जिस उम्र में सम्मान मिलना चाहिए, उस उम्र में राहुल गांधी के इस शर्मनाक व्यवहार से उनकी मानसिकता के बारे में क्या पता चलता है? बीजेपी ने राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम को लेकर एक और आरोप लगाया। पार्टी की ओर से कहा गया कि कार्यक्रम में जिन लोगों को आम छात्र के तौर पर मंच पर प्रस्तुत किया गया, उनमें कुछ लोग कांग्रेस या NSUI से जुड़े पदाधिकारी थे। बीजेपी ने इसे छात्रों के साथ धोखा बताते हुए दावा किया कि कांग्रेस ने अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को छात्रों के रूप में प्रस्तुत किया। पार्टी ने कांग्रेस नेताओं जीतू पटवारी और उमंग सिंघार से इस मामले में माफी मांगने की मांग भी की। बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर में राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम को लेकर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का यह गैर जिम्मेदाराना रवैया बेहद शर्मनाक, निंदनीय और अशोभनीय है। हमारे देश की संस्कृति और मां के सम्मान के अपमान के साथ उन्होंने युवाओं के भविष्य को गलत दिशा में ले जाने को प्रोत्साहित किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मां के सम्मान को सर्वोपरि रखते हुए जो अनुकरणीय उदाहरण पेश किया था, उसका इस तरह मजाक उड़ाना देशभर की माता का अपमान करना है। कुछ ही दिनों में हम नवरात्रि पर मां भवानी का आह्वान करेंगे और घर-घर कन्या पूजी जाएंगी। राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी के नेता अपनी कुत्सित मानसिकता के कारण हमेशा मातृशक्ति का अपमान करते रहे हैं। उन्हें अपने इस कृत्य के लिए संपूर्ण देश की माताओं से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज इंदौर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम किया, जो मूल रूप से झूठ फैलाने की कवायद था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विषय की गंभीरता को लेकर गंभीर नजर नहीं आए। वह बिना तैयारी के आए और

बच्चों तथा युवाओं से संवाद किया, जबकि उनके साथ वास्तविक सवाल-जवाब का सत्र होना चाहिए था। मोहन यादव ने आरोप लगाया कि इस कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस के जनता को गुमराह करने वाले एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, जो बेहद दुखद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष का पद बेहद महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने स्कूल शिक्षा का जिक्र करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश ने ड्रॉपआउट के मामले में जीरो-ड्रॉपआउट दर हासिल की है और कांग्रेस तथा उसके सहयोगियों को इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए। मोहन यादव ने कहा कि जब कांग्रेस स्कूल ड्रॉपआउट की बात करती है तो आंकड़े पूरी कहानी बताते हैं। उनके मुताबिक, 2002-03 में कांग्रेस शासन के दौरान स्कूल ड्रॉपआउट दर 16 प्रतिशत थी। उन्होंने कहा कि 1956 से 2002-03 के बीच अधिकांश समय कांग्रेस सत्ता में रही और उस दौर के आंकड़े उसकी विरासत को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि 2002-03 तक स्कूल शिक्षा का बजट करीब 2,000 करोड़ रुपये के आसपास था, जबकि आज यह बढ़कर 38,658 करोड़ रुपये हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बच्चों की शिक्षा और उनके बेहतर प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मोहन यादव ने कांग्रेस से सवाल करते हुए कहा कि क्या उसके शासनकाल में छात्रों को यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई गई थी? क्या आने-जाने के लिए साइकिल दी गई थी? क्या अच्छे प्रदर्शन करने वाले छात्रों को स्कूटर या लैपटॉप दिए गए थे? उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने छात्रों और युवाओं को प्रोत्साहित करने या उनका समर्थन करने के लिए इस तरह की योजनाएं लागू नहीं की थीं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की स्वर्गीय माता को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी और उस पर राहुल गांधी के हंसने को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि मां राजनीति का विषय नहीं होती और किसी भी सभ्य समाज में मां का अपमान स्वीकार्य नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी से राजनीतिक विरोध में मर्यादा बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि ऐसी असंवेदनशीलता और उपहास लोकतांत्रिक मूल्यों व राजनीतिक संस्कारों के अनुरूप नहीं है।

● **Shashi Ranjan Singh/Rajiv Kr. Shukla**

The husband of a 34-week pregnant woman who died with her unborn twins at a private maternity hospital MatCare (A center of Indira IVF) in Patna has asked the Bihar government to throw out an official inquiry that cleared the hospital, calling it a "sham, one-sided and hospital-dictated" report prepared in a single day from papers supplied by the hospital itself.

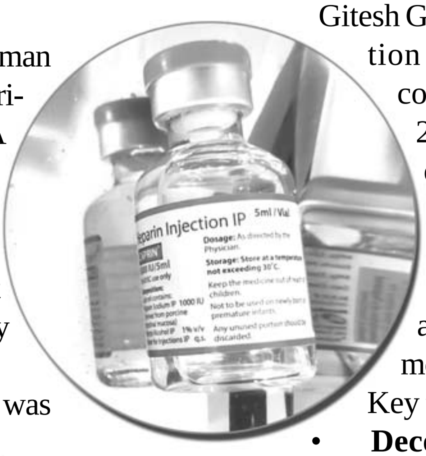

Annu Kumari, who had conceived through IVF, was declared dead at 2:10 pm on 5 September 2026 at MatCare Maternity & Child Hospital, Saguna More, a few hours after arriving for a scheduled visit. The hospital's own death summary records that both babies had heartbeats when she arrived.

In a representation to the Secretary of the state Health Department and the Bihar Human Rights Commission, her husband Gitesh Gaurav has sought rejection of the four-member committee's report dated 21 September, a fresh inquiry by a board of specialists from AIIMS Patna, IGIMS or PMCH, and action against the committee members.

Key facts at a glance

- **Deceased:** Annu Kumari, wife of Gitesh Gaurav, of Rajeev Nagar, Patna; 34 weeks 5 days pregnant with IVF twins
- **Hospital:**MatCare Maternity & Child Hospital (Indira IVF), Saguna More, Patna; operated by MatCare Wellness Pvt. Ltd.
- **Police cases:**Danapur P.S. Case No. 1004/26 (family's FIR) and No. 1018/26 (hospital's counter-case)
- **Inquiry:** Four-member committee, Civil Surgeon's Memo No. 13461 of 12.09.2026; report dated 21.09.2026
- **Representation filed with:** Secre-

tary, Health Department, Bihar, and Bihar Human Rights Commission

Timeline

Date (2026)	Event
29 Aug	Routine check-up; family says she was told to return on 5 Sept, with no admission advised
4 Sept	Hospital claims admission was advised; family denies it
5 Sept, ~11:30 am	Family says they reach hospital; she is conscious and stable
5 Sept, 12:15 / 12:26 pm	Arrival times given in hospital's police letter and committee report
5 Sept, 12:45 pm	Committee says "process" to shift her to operating theatre begins
5 Sept, 12:57 pm	Cardiac arrest in emergency room, per committee
5 Sept, 2:10 pm	Death declared
6 Sept	FIR No. 1004/26 registered at Danapur police station
8–9 Sept	Hospital writes to police; counter-case No. 1018/26 registered; Sahyog portal complaint filed
12 Sept	Civil Surgeon forms committee; report due in 3 days
15 Sept	Buxar MP Sudhakar Singh writes to government
21 Sept	Committee files one-page report
1 Oct	Health Department orders DM and Civil Surgeon to inquire and report
Oct	Family files representation seeking fresh inquiry

am that day, conscious and stable. He alleges that her condition worsened inside the hospital, that a further Rs 10 lakh was demanded before treatment, and that she was injected with heparin and other drugs without being examined by a doctor, after which she bled from the mouth.

Two accounts of one afternoon

Annu Kumari was carrying twins after IVF treatment and had been under care at Indira IVF / MatCare for about eight months, under Dr. Anju and Dr. Shweta Shilpi, according to her treatment papers. Her husband says that at a check-up on 29 August she was simply asked to return on 5 September, with no advice to get admitted.

Gaurav says he brought her in at about 11:30

The hospital's documents, as quoted in the representation, tell a different story. Its letter to police says she arrived around 12:15 pm in "extremely critical" condition. Its death summary records a blood pressure of 160/130, an eclamptic seizure during assessment, a cardiac arrest and more than half an hour

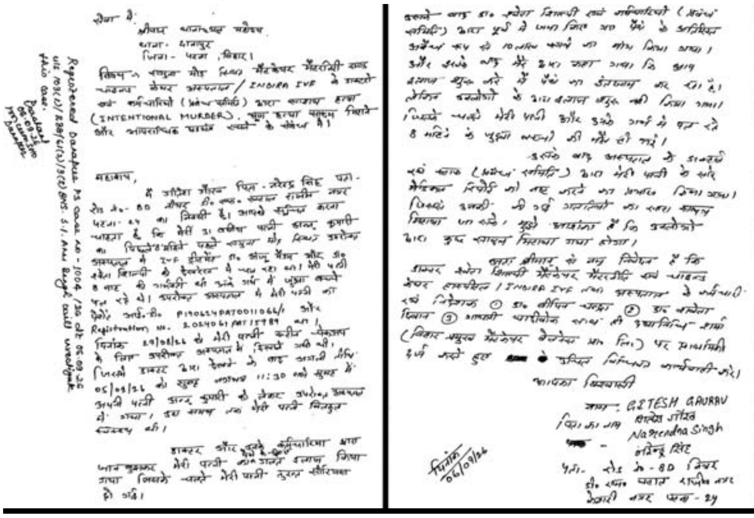

of CPR. It gives the cause of death as eclampsia and cardiopulmonary arrest. The hospital also says admission had been advised on 4 September and the family did not come, which the family denies.

***"My wife and both unborn children died."* — Gitesh Gaurav, in his representation**

Two gaps stand out. On the committee's own clock, 31 minutes passed between arrival and cardiac arrest without the babies being delivered, though she was said to be eclamptic. The death summary says high-risk consent "was asked to be taken". The family asks whether treatment waited for a signature or for money.

Then 73 minutes passed between the arrest

Three clocks, one death

The hospital has given three written versions of the same afternoon, and they do not agree with each other, the representation says. The committee accepted the latest without comparing it with the first two.

Point	Family's FIR	Hospital letter to police (8 Sept)	Hospital death summary	Committee report (21 Sept)
Arrival	~11:30 am	~12:15 pm	not stated	~12:26 pm
Condition	conscious, well	"extremely critical"	warning signs, BP 160/130; seizure during assessment	came in wheelchair; seizure after vitals
Seizure at home	denied	not mentioned	claimed	not mentioned
Treating doctors	named in FIR	not named	signed "for" Dr. Shweta Shilpi by another person	"Dr. Shweta", Dr. Mrityunjay, Dr. Sonu
Medicines given	heparin, others alleged	not stated	not stated	not stated
Cardiac arrest	—	not stated	not stated	12:57 pm
Death	2:10 pm	not stated	2:10 pm	not stated
Twins	alive on arrival	not mentioned	both heartbeats on arrival	not mentioned

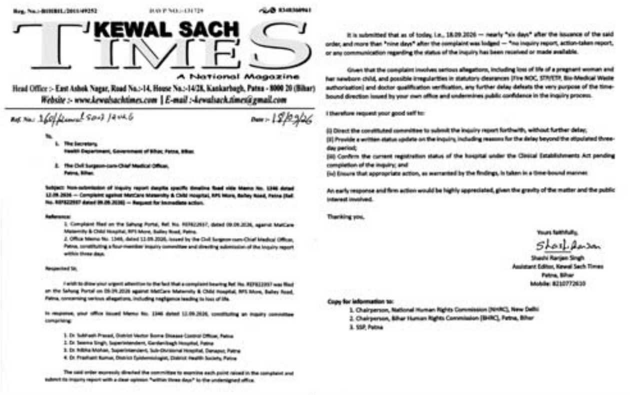

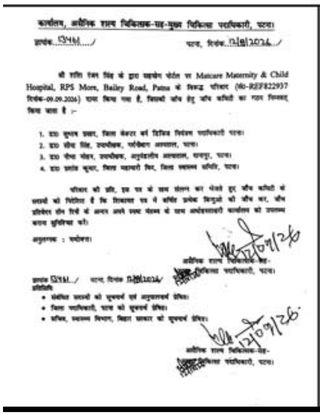

at 12:57 pm and the declaration of death at 2:10 pm. The hospital says CPR went on for "more than half an hour". Who was in the room and what was given in that time, the report does not say.

The hospital's own letter to police states the entire incident was recorded on its CCTV cameras. "The CCTV time-stamp at the entrance would settle it in one minute. The committee did not look," the representation says.

"Appears to be correct"

The Civil Surgeon of Patna set up the committee on 12 September, after a complaint on the state's Sahyog grievance portal, and asked it to report "with a clear opinion" on every point within three days. It reported nine days later, on 21 September. Its single-page report concludes that, "from the papers received" from hospital management, the treatment "appears to be correct".

The family's representation lists what the committee did not do:

- **No hearing for the family.** The report says the inquiry was held "confidentially". No notice was given to the husband and no relative's statement was recorded.
- **Only hospital papers.** No doctor, nurse or staff member's statement is recorded.
- **No medicine named.** The report mentions an "Eclampsia Protocol" but not a single drug, dose or time. The drug chart and pharmacy registers were not sought.
- **No specialists.** Members were a district vector-borne disease officer, a district epidemiologist and two deputy superintendents, with no obstetrician, anaesthetist or forensic expert disclosed.
- **CCTV ignored.** The hospital told police the incident was recorded on camera; the committee did not view the footage, or call for the post-mortem and viscera reports.
- **Twins not mentioned.** The report says nothing about the two unborn children.
- **Paperwork findings.** Four of six findings concern registration, pollution, fire and discharge certificates. The hospital's registration is provisional.

The representation also points to gaps in the timeline. The committee records arrival at 12:26 pm, a move to the operating theatre beginning at 12:45 pm and cardiac arrest at 12:57 pm "in the emergency

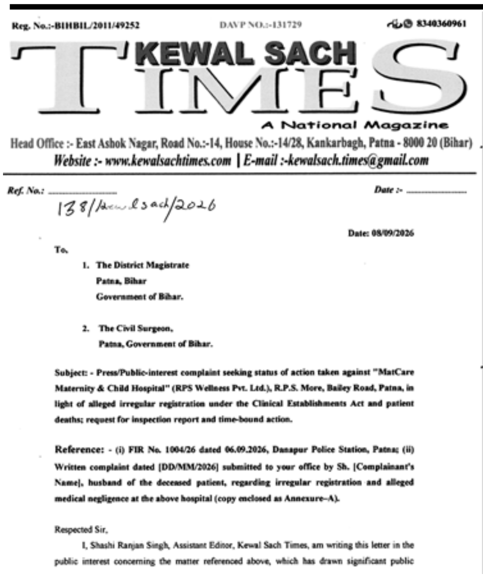

Reg. No.:-BIHBIL/2011/49252 DAVP NO.:-131729 8340360961

KEWAL SACH TIMES

A National Magazine

Head Office :- East Ashok Nagar, Road No.:-14, House No.:-14/28, Kankarbagh, Patna - 8000 20 (Bihar)

Website :- www.kewalsachtimes.com | E-mail :-kewalsach.times@gmail.com

Ref. No.: 138/kewalsach/2026 Date :-

Date: 08/09/2026

To,

1. The District Magistrate
Patna, Bihar
Government of Bihar.

2. The Civil Surgeon,
Patna, Government of Bihar.

Subject: - Press/Public-interest complaint seeking status of action taken against "MatCare Maternity & Child Hospital" (RPS Wellness Pvt. Ltd.), R.P.S. More, Bailey Road, Patna, in light of alleged irregular registration under the Clinical Establishments Act and patient deaths; request for inspection report and time-bound action.

Reference: - (i) FIR No. 1004/26 dated 06.09.2026, Danapur Police Station, Patna; (ii) Written complaint dated [DD/MM/2026] submitted to your office by Sh. [Complainant's Name], husband of the deceased patient, regarding irregular registration and alleged medical negligence at the above hospital (copy enclosed as Annexure–A).

Respected Sir,

I, Shashi Ranjan Singh, Assistant Editor, Kewal Sach Times, am writing this letter in the public interest concerning the matter referenced above, which has drawn significant public

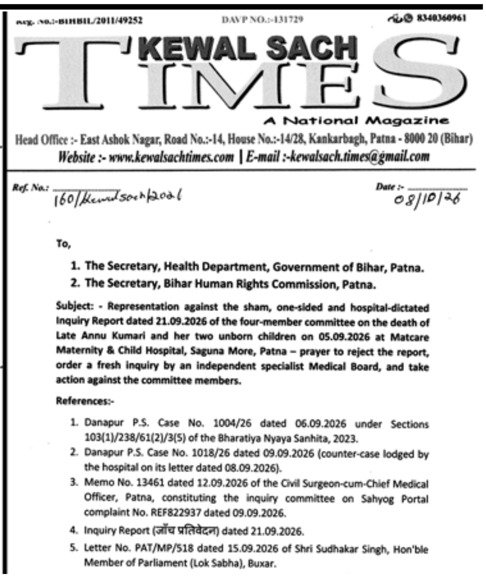

Reg. No.:-BIHBIL/2011/49252 DAVP NO.:-131729 8340360961

KEWAL SACH TIMES

A National Magazine

Head Office :- East Ashok Nagar, Road No.:-14, House No.:-14/28, Kankarbagh, Patna - 8000 20 (Bihar)

Website :- www.kewalsachtimes.com | E-mail :-kewalsach.times@gmail.com

Ref. No.: 160/kewalsach/2026 Date :- 08/10/26

To,

1. The Secretary, Health Department, Government of Bihar, Patna.
2. The Secretary, Bihar Human Rights Commission, Patna.

Subject: - Representation against the sham, one-sided and hospital-dictated Inquiry Report dated 21.09.2026 of the four-member committee on the death of Late Annu Kumari and her two unborn children on 05.09.2026 at Matcare Maternity & Child Hospital, Saguna More, Patna – prayer to reject the report, order a fresh inquiry by an independent specialist Medical Board, and take action against the committee members.

References:-

1. Danapur P.S. Case No. 1004/26 dated 06.09.2026 under Sections 103(1)/238/61(2)/3(5) of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023.
2. Danapur P.S. Case No. 1018/26 dated 09.09.2026 (counter-case lodged by the hospital on its letter dated 08.09.2026).
3. Memo No. 13461 dated 12.09.2026 of the Civil Surgeon-cum-Chief Medical Officer, Patna, constituting the inquiry committee on Sahyog Portal complaint No. REF822937 dated 09.09.2026.
4. Inquiry Report (जाँच प्रतिवेदन) dated 21.09.2026.
5. Letter No. PAT/MP/518 dated 15.09.2026 of Shri Sudhakar Singh, Hon'ble Member of Parliament (Lok Sabha), Buxar.

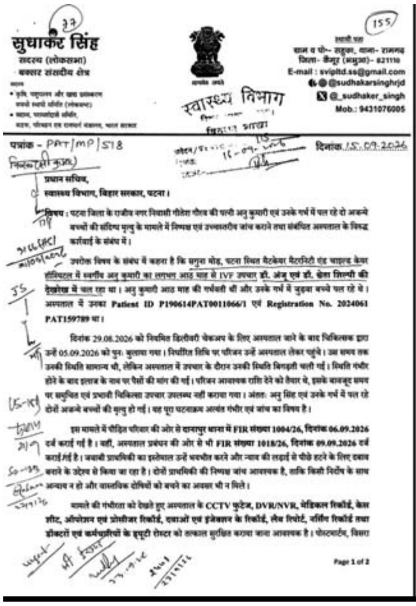

सुधाकर सिंह
सदस्य (लोकसभा)
बक्सर संसदीय क्षेत्र

E-mail : svipltd.ss@gmail.com
@sudhakarsinghrjd
@_sudhaker_singh
Mob.: 9431076005

पत्रांक - PAT/MP/518 दिनांक 15.09.2026

प्रधान सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना।

अस्पताल में उनका Patient ID P190614PAT0011066/1 एवं Registration No. 2024061 PAT159789 था।

दिनांक 29.08.2026 को ... 05.09.2026 को ...

इस मामले में पीड़ित परिवार की ओर से दानापुर थाना में FIR संख्या 1004/26, दिनांक 06.09.2026 दर्ज कराई गई है। वहीं, अस्पताल प्रबंधन की ओर से भी FIR संख्या 1018/26, दिनांक 09.09.2026 दर्ज कराई गई है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल के CCTV फुटेज, DVR/NVR, मेडिकल रिकॉर्ड, ...

Page 1 of 2

सुधाकर सिंह
सदस्य (लोकसभा)
बक्सर संसदीय क्षेत्र

E-mail : svipltd.ss@gmail.com
@sudhakarsinghrjd
@_sudhaker_singh
Mob.: 9431076005

पत्रांक - PAT/MP/518 दिनांक 15.09.2026

एवं अन्य फॉरेंसिक रिपोर्ट को भी जांच का अभिन्न हिस्सा बनाया जाए और पीड़ित परिवार को उपलब्ध कराया जाए।

साथ ही यह भी जांच होनी चाहिए कि संबंधित निजी अस्पताल को लाइसेंस किन मानकों के आधार पर दिया गया, वहां चिकित्सकों एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों की वास्तविक उपलब्धता क्या थी और आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था निर्धारित मानकों के अनुरूप थी या नहीं। बिहार में यदि बिना वास्तविक भौतिक जांच के निजी अस्पतालों को लाइसेंस दिया जा रहा है और कागज पर चिकित्सकों की उपलब्धता दिखाई जा रही है, जबकि जरूरत के समय डॉक्टर मौजूद नहीं रहते, तो यह मरीजों की जिंदगी के साथ गंभीर खिलवाड़ है।

आरोपी महिला चिकित्सक के पति के उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण सरकारी पद पर होने के कारण पीड़ित परिवार द्वारा जांच प्रभावित किए जाने की आशंका भी है। किसी व्यक्ति के पद या पारिवारिक संबंध को दोष का आधार नहीं बनाया जा सकता, लेकिन ऐसी आशंका को देखते हुए जांच को पूर्णतः स्वतंत्र, पारदर्शी एवं वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में कराया जाना आवश्यक है।

अतः आप इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराते हुए, सभी साक्ष्यों की सुरक्षा, पोस्टमार्टम एवं फॉरेंसिक रिपोर्ट की समीक्षा तथा दोषी पाए जाने वाले चिकित्सकों, अस्पताल प्रबंधन अथवा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कानूनी एवं प्रशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित करने का कार्य करें।

यह केवल एक परिवार की बेटी की मृत्यु का मामला नहीं है, बल्कि अस्पतालों की जवाबदेही और बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था में मरीजों की सुरक्षा का भी गंभीर प्रश्न है। पीड़ित परिवार को दबाव में लाने के बजाय उसे न्याय दिलाना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है।

(सुधाकर सिंह)

Page 2 of 2

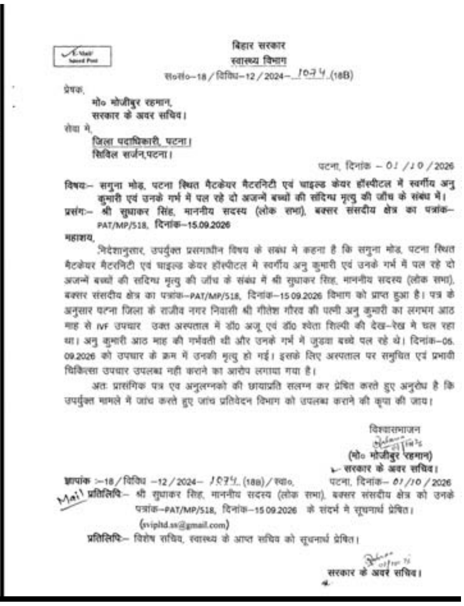

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
सं०सं०–18 / विविध–12 / 2024–1074 (18B)

प्रेषक,
मो० मोजीबुर रहमान,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,
जिला पदाधिकारी, पटना।
सिविल सर्जन,पटना।

पटना, दिनांक – 01 / 10 / 2026

विषय:– सगुना मोड़, पटना स्थित मैटकेयर मैटरनिटी एवं चाइल्ड केयर हॉस्पीटल में स्वर्गीय अनु कुमारी एवं उनके गर्भ में पल रहे दो अजन्मे बच्चों की संदिग्ध मृत्यु की जाँच के संबंध में।

प्रसंग:– श्री सुधाकर सिंह, माननीय सदस्य (लोक सभा), बक्सर संसदीय क्षेत्र का पत्रांक–PAT/MP/518, दिनांक–15.09.2026

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त प्रसंगाधीन विषय के संबंध मे कहना है कि सगुना मोड, पटना स्थित मैटकेयर मैटरनिटी एवं चाइल्ड केयर हॉस्पीटल मे स्वर्गीय अनु कुमारी एवं उनके गर्भ मे पल रहे दो अजन्मे बच्चों की संदिग्ध मृत्यु की जाँच के संबंध में श्री सुधाकर सिंह, माननीय सदस्य (लोक सभा), बक्सर संसदीय क्षेत्र का पत्रांक–PAT/MP/518, दिनांक–15.09.2026 विभाग को प्राप्त हुआ है। पत्र के अनुसार पटना जिला के राजीव नगर निवासी श्री गीतेश गौरव की पत्नी अनु कुमारी का लगभग आठ माह से IVF उपचार उक्त अस्पताल मे डॉ0 अजू एवं डॉ0 श्वेता शिल्पी की देख–रेख मे चल रहा था। अनु कुमारी आठ माह की गर्भवती थी और उनके गर्भ मे जुड़वा बच्चे पल रहे थे। दिनांक–06.09.2026 को उपचार के क्रम मे उनकी मृत्यु हो गई। इसके लिए अस्पताल पर समुचित एवं प्रभावी चिकित्सा उपचार उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाया गया है।

अतः प्रासंगिक पत्र एव अनुलग्नकों की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त मामले मे जांच करते हुए जांच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
(मो० मोजीबुर रहमान)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :–18 / विविध –12 / 2024– 1074 (18B) / स्वा०, पटना, दिनांक– 01 / 10 / 2026

प्रतिलिपि– श्री सुधाकर सिंह, माननीय सदस्य (लोक सभा), बक्सर संसदीय क्षेत्र को उनके पत्रांक–PAT/MP/518, दिनांक–15.09.2026 के संदर्भ मे सूचनार्थ प्रेषित।
(svipltd.ss@gmail.com)

प्रतिलिपि– विशेष सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

room itself". That leaves 31 minutes without delivery, and a further 73 minutes before death was declared at 2:10 pm, neither of which the report examines. The report names the treating doctors only as "Dr. Shweta", "Dr. Mrityunjay" and "Dr. Sonu", without surnames or registration numbers.

"A report on a treatment death that is silent on the treatment is no report." — the representation

Questions of identity and paperwork

The representation lists further discrepancies that, it says, the committee never noticed:

- **Which "Dr. Shweta"?** Two accused doctors share the name: Dr. Shweta Shilpi and Dr. Shweta Diwan. The committee does not say which one treated her.
- **Death summary not signed by the consultant.** It is signed by an unidentified person "for" Dr. Shweta Shilpi. The family says this supports its claim that the consultant did not personally attend. The registration number typed on it (56963) also appears to differ from the number on the stamp; the family wants both checked with the Bihar Medical Council.
- **Doctors without identity.** "Dr. Mrityunjay" and "Dr. Sonu" are named without surname, qualification, speciality or registration number. The family alleges no doctor was available and support staff attended her.
- **Owner's credentials.** The committee calls the owner "Dr. Dayanidhi Kumar"; the FIR names the Bihar head as Dayanidhi Sharma. The family alleges he holds no recognised medical qualification and says the committee accepted the title "Dr." without checking.
- **Provisional registration.** The hospital holds provisional registration No. 1293/2026, issued on 10 January 2026. Under Section 16 of the Clinical Establishments Act, 2010, provisional registration is granted without an inquiry, so it says nothing about staff or emergency readiness.
- **Mismatched particulars.** The death summary gives her age as 33 (the FIR says 31) and carries a different patient ID from her treatment file.
- **A different authority.** The report cites a Civil Surgeon's letter of 17 September and a Danapur police memo of 8 September rather than the order that set the committee up. The family fears the one-page report may be passed off as the medical opinion in the murder case.

The committee also did not call for the post-mortem and viscera reports, seized articles, emergency sheet, vital chart, nursing notes, operation theatre register, duty roster, billing records or the antenatal file, the family says.

Cases, counter-cases and a fresh order

On 6 September, Danapur police registered Case No. 1004/26 on the husband's complaint under Bharatiya Nyaya Sanhita sections covering murder,

destruction of evidence and criminal conspiracy. The FIR names doctors and management of the hospital, among them Dr. Anju, Dr. Shweta Shilpi and Dr. Shweta Diwan, and its Bihar head, Dayanidhi Sharma.

Three days later, on the hospital's letter signed by its CEO Dr. Nikhil Yadav for MatCare Wellness Pvt. Ltd., police registered a counter-case (No. 1018/26) against the husband and his family. Gaurav says its purpose is "to frighten a grieving family into silence".

On 15 September, Buxar MP Sudhakar Singh wrote to the government recording an apprehension of influence in the case. On 1 October, the Health Department directed the Patna District Magistrate and Civil Surgeon to inquire and report. The family has asked that the 21 September report not be forwarded as compliance of that order.

The family alleges the committee also failed to verify the qualifications of the doctors or of the person it describes as the owner, "Dr. Dayanidhi Kumar". The family says he has no recognised medical qualification.

मां संग गर्भस्थ जुड़वा बच्चों की मौत, न्याय को सड़क पर उतरे

इलाज में लापरवाही का आरोप जांच को ले निकाला कैंडल मार्च

मां-गर्भस्थ शिशु की मौत मामले में गिरफ्तारी नहीं होने के विरोध में निकाला कैंडल मार्च

पटना . सगुना मोड़ स्थित एक आइवीएफ अस्पताल में महिला अन्नु कुमारी और उनके गर्भस्थ शिशु की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद किसी की गिरफ्तारी नहीं होने पर आक्रोशित परिजनों व लोगों ने शुक्रवार शाम कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया. गांधी मैदान से समाहरणालय तक मार्च निकाला गया और अस्पताल के डॉक्टरों व कर्मचारियों की गिरफ्तारी की मांग गयी. इस दौरान बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. मालूम हो कि महिला के पति गीतेश गौरव ने दानापुर थाने में छह सितंबर को केस दर्ज कराया था. दर्ज प्राथमिकी में अस्पताल के डॉक्टरों व कर्मचारियों पर इलाज में लापरवाही के साथ महिला और गर्भस्थ शिशु की जानबूझकर जान लेने का गंभीर आरोप लगाया गया है. 31 वर्षीय अन्नु आठ महीने से अस्पताल में आइवीएफ का उपचार करा रही थीं और आठ माह की गर्भवती थीं.

[Hospital's response: MatCare Maternity & Child Hospital and the Civil Surgeon, Patna, were sent detailed questions on (date). Their response is awaited / reproduced here.]

The medical questions no one asked

Eclampsia, the hospital's stated diagnosis, is among the best-studied emergencies in obstetrics. The international Magpie Trial, involving nearly 10,000 women with pre-eclampsia in 33 countries, found that magnesium sulphate roughly halved the risk of eclamptic seizures, the UN reported. It remains the WHO-recommended treatment. An "eclampsia protocol" is therefore a specific set of drugs, doses and timings that can be checked against the record.

Cardiac arrest late in pregnancy also has a standard response. Beyond about 20 weeks, the womb compresses major blood vessels and makes CPR less effective, so guidelines call for an emergency caesarean during resuscitation, ideally after about four minutes. Clinical guidance citing the American Heart Association notes newborn survival has been recorded even 30 minutes after a mother's arrest.

The committee's report addresses none of this. It does not say whether magnesium sulphate was given, whether a caesarean was attempted, or whether an anaesthetist, obstetrician and neonatal team were present. The family's specific allegation, that her blood-thinner Ecosprin-75 was stopped on 29 August and a heavy dose of heparin injected on 5 September, followed by bleeding from the mouth, is not examined. The hospital recorded "frothing per mouth". Only the post-mortem and viscera reports can settle which is correct.

The twins nobody counted

The hospital's death summary confirms that both foetal heartbeats were detected by ultrasound when Annu Kumari arrived, at 34 weeks and five days. "Two live babies entered that hospital," the representation says. The committee's report does not contain one word about them.

Globally, an estimated 1.9 million babies were stillborn in 2019, one every 16 seconds, and about half of stillbirths happen after labour begins, when most are preventable with good care, according to the first UN stillbirth report. The World Health Organization's surveillance guidance links maternal and perinatal death reviews for this reason. At nearly 35 weeks, twins have a strong chance of survival with neonatal care, which is why the family asks whether a neonatal team was available.

Money before medicine?

The family's gravest allegation is that a further Rs 10 lakh (about US$11,000) was demanded while her condition worsened. "I agreed to arrange it and begged that treatment should start," Gaurav says in

the representation. The committee's report does not mention the allegation.

Indian law is clear on the principle. Section 12(2) of the Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2010 makes it a condition of registration that every hospital stabilise any emergency patient brought to it, within its staff and facilities. In the United States, the Emergency Medical Treatment and Labor Act of 1986 requires hospitals to screen and stabilise emergency patients, including women in labour, regardless of ability to pay.

The family wants the billing and deposit records examined alongside the CCTV footage, which would show when money was sought and when treatment began.

"A secret inquiry which hears only the hospital, names no medicine and examines no record cannot be called a medical opinion in the eye of law," the representation concludes.

The IVF boom and the regulation gap

The case highlights how quickly IVF and private maternity care have spread beyond India's big cities, often into commercial buildings. IVF produces a higher share of twin pregnancies, which carry greater risks of pre-eclampsia, eclampsia and preterm birth.

The Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act, 2021 requires fertility clinics to register nationally, renew every five years and submit to inspection. But it governs the fertility procedure, not the emergency care those pregnancies may later need. That depends on state enforcement of the Clinical Establishments Act. The family says the committee made

What the Supreme Court has said

The representation cites a string of Supreme Court judgments it says the committee ignored:

Case	Principle
Jacob Mathew v. State of Punjab (2005) 6 SCC 1	Investigators must obtain an "independent and competent medical opinion", preferably from a government doctor qualified in the relevant branch
Savita Garg v. National Heart Institute (2004) 8 SCC 56	Once the family makes out an initial case, the hospital must prove it was not negligent by producing doctors and records
Nizam's Institute v. Prasanth S. Dhananka (2009) 6 SCC 1	Onus shifts to the hospital to show there was no lack of care
V. Kishan Rao v. Nikhil Super Speciality Hospital (2010) 5 SCC 513	*Res ipsa loquitur*: where negligence is evident, the facts speak for themselves
Arun Kumar Manglik v. Chirayu Health (2019) 7 SCC 401	Hospitals liable for failing to treat and monitor in time per established guidelines
Maharaja Agrasen Hospital v. Rishabh Sharma (2020) 6 SCC 501	Hospitals are vicariously liable for the doctors they engage
Parmanand Katara v. Union of India (1989) 4 SCC 286	No procedure or formality may delay emergency treatment
Poonam Verma v. Ashwin Patel (1996) 4 SCC 332	Practising a system of medicine without qualification is negligence per se

no physical inspection of the emergency room, operation theatre, ICU, neonatal unit, blood facility or staffing, and did not explain how an in-patient maternity hospital runs from a few floors of a commercial complex.

A national and global problem

The case comes as India's maternal mortality ratio has fallen to 88 deaths per 100,000 live births in 2021–23, according to SRS data. Bihar's ratio is 104, against Kerala's 30, state-wise SRS figures show. Worldwide, about 260,000 women died from pregnancy-related causes in 2023, roughly one every two minutes, the UN estimates.

Countries with the lowest maternal deaths review every such death through independent specialist panels. Britain's national confidential enquiry, now run by MBRRACE-UK at Oxford, has done so since 1952. India's own maternal death surveillance guidelines require investigators to interview the family. The Supreme Court in *Jacob Mathew v. State of Punjab* (2005) required "an independent and competent medical opinion" in cases against doctors, preferably from a specialist in the relevant branch.

What the family wants

Before the Health Department, the family has asked for:

1. Rejection of the 21 September report, and an order that it not be relied on in the murder case.
2. A fresh medical board of senior specialists from AIIMS Patna, IGIMS or PMCH, covering obstetrics, anaesthesia and critical care, medicine and cardiology,

How other countries investigate

The countries with the safest childbirth review every maternal death through bodies independent of the hospital concerned.

Country	Who investigates	Key feature
United Kingdom	MBRRACE-UK national confidential enquiry, since 1952	Each death reviewed by 10–15 specialists in obstetrics, anaesthesia, intensive care, pathology and more; anonymised to prevent bias
United States	State maternal mortality review committees	Found 84% of pregnancy-related deaths preventable across 36 states, 2017–2019
Ireland	Health Information and Quality Authority (statutory regulator)	Savita Halappanavar's 2012 death in Galway led to a 2013 report with 34 recommendations
India (guidelines)	Facility, district and state MDSR committees	Family must be interviewed; staff of the facility excluded from community review
Patna, Sept 2026	Four district health officials	No specialist disclosed; only hospital papers; family not heard

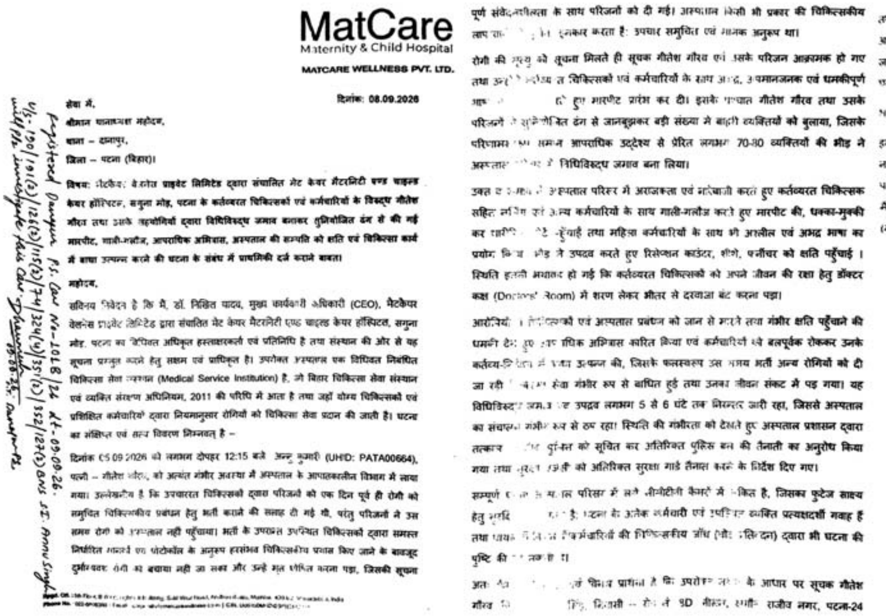

MatCare
Maternity & Child Hospital
MATCARE WELLNESS PVT. LTD.

दिनांक: 08.09.2026

सेवा में,
श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय,
थाना – दानापुर,
जिला – पटना (बिहार)।

विषय: मैटकेयर वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित मैट केयर मैटरनिटी एण्ड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल, सगुना मोड़, पटना के कर्तव्यरत चिकित्सकों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध गौतेश गौरव तथा उनके सहयोगियों द्वारा विधिविरुद्ध जमाव बनाकर सुनियोजित ढंग से की गई मारपीट, गाली-गलौज, आपराधिक अभित्रास, अस्पताल की सम्पत्ति को क्षति एवं चिकित्सा कार्य में बाधा उत्पन्न करने की घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराने बाबत।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि मैं, डॉ. [illegible], मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO), मैटकेयर वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित मैट केयर मैटरनिटी एण्ड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल, सगुना मोड़, पटना का विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता एवं प्रतिनिधि हूँ तथा संस्थान की ओर से यह सूचना प्रस्तुत करने हेतु सक्षम एवं प्राधिकृत हूँ। उपरोक्त अस्पताल एक विधिवत निबंधित चिकित्सा सेवा संस्थान (Medical Service Institution) है, जो बिहार चिकित्सा सेवा संस्थान एवं व्यक्ति संरक्षण अधिनियम, 2011 की परिधि में आता है तथा जहाँ योग्य चिकित्सकों एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार रोगियों को चिकित्सा सेवा प्रदान की जाती है। घटना का संक्षिप्त एवं सत्य विवरण निम्नवत् है –

दिनांक 05.09.2026 को लगभग दोपहर 12:15 बजे अन्नू कुमारी (UHID: PATA00664), पत्नी – गौतेश गौरव, को अत्यंत गंभीर अवस्था में अस्पताल के आपातकालीन विभाग में लाया गया। उल्लेखनीय है कि उपचाररत चिकित्सकों द्वारा परिजनों को एक दिन पूर्व ही रोगी को समुचित चिकित्सकीय प्रबंधन हेतु भर्ती कराने की सलाह दी गई थी, परंतु परिजनों ने उस समय रोगी को अस्पताल नहीं पहुँचाया। भर्ती के उपरान्त उपस्थित चिकित्सकों द्वारा समस्त निर्धारित मानकों एवं प्रोटोकॉल के अनुरूप हरसंभव चिकित्सकीय प्रयास किए जाने के बावजूद दुर्भाग्यवश रोगी को बचाया नहीं जा सका और उन्हें मृत घोषित करना पड़ा, जिसकी सूचना पूर्ण संवेदनशीलता के साथ परिजनों को दी गई। अस्पताल किसी भी प्रकार की चिकित्सकीय लापरवाही [illegible] इनकार करता है; उपचार समुचित एवं मानक अनुरूप था।

रोगी की मृत्यु की सूचना मिलते ही सूचक गौतेश गौरव एवं उसके परिजन आक्रामक हो गए तथा [illegible] चिकित्सकों एवं कर्मचारियों के साथ अभद्र, अपमानजनक एवं धमकीपूर्ण [illegible] हुए मारपीट प्रारंभ कर दी। इसके पश्चात गौतेश गौरव तथा उसके परिजनों ने सुनियोजित ढंग से जानबूझकर बड़ी संख्या में बाहरी व्यक्तियों को बुलाया, जिसके परिणामस्वरूप [illegible] आपराधिक उद्देश्य से प्रेरित लगभग 70-80 व्यक्तियों की भीड़ ने अस्पताल [illegible] में विधिविरुद्ध जमाव बना लिया।

उक्त [illegible] ने अस्पताल परिसर में अराजकता एवं नारेबाजी करते हुए कर्तव्यरत चिकित्सक सहित नर्सिंग एवं अन्य कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की, धक्का-मुक्की कर [illegible] तथा महिला कर्मचारियों के साथ भी अश्लील एवं अभद्र भाषा का प्रयोग किया। भीड़ ने उपद्रव करते हुए रिसेप्शन काउंटर, शीशे, फर्नीचर को क्षति पहुँचाई। स्थिति इतनी भयावह हो गई कि कर्तव्यरत चिकित्सकों को अपने जीवन की रक्षा हेतु डॉक्टर कक्ष (Doctors' Room) में शरण लेकर भीतर से दरवाजा बंद करना पड़ा।

आरोपियों [illegible] चिकित्सकों एवं अस्पताल प्रबंधन को जान से मारने तथा गंभीर क्षति पहुँचाने की धमकी देते हुए आपराधिक अभित्रास कारित किया एवं कर्मचारियों को बलपूर्वक रोककर उनके कर्तव्य-निर्वहन में बाधा उत्पन्न की, जिसके फलस्वरूप उस समय भर्ती अन्य रोगियों को दी जा रही [illegible] सेवा गंभीर रूप से बाधित हुई तथा उनका जीवन संकट में पड़ गया। यह विधिविरुद्ध [illegible] उपद्रव लगभग 5 से 6 घंटे तक निरन्तर जारी रहा, जिससे अस्पताल का संचालन गंभीर रूप से ठप रहा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल प्रशासन द्वारा तत्काल [illegible] को सूचित कर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती का अनुरोध किया गया तथा [illegible] को अतिरिक्त सुरक्षा गार्ड तैनात करने के निर्देश दिए गए।

सम्पूर्ण [illegible] परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में [illegible] है, जिसका फुटेज साक्ष्य हेतु [illegible] है; घटना के अनेक कर्मचारी एवं उपस्थित व्यक्ति प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं तथा [illegible] कर्मचारियों की चिकित्सकीय जाँच [illegible] द्वारा भी घटना की पुष्टि की जा सकती है।

अतः [illegible] विनम्र प्रार्थना है कि उपरोक्त [illegible] के आधार पर सूचक गौतेश गौरव [illegible] निवासी – [illegible] 9D [illegible] राजीव नगर, पटना-24

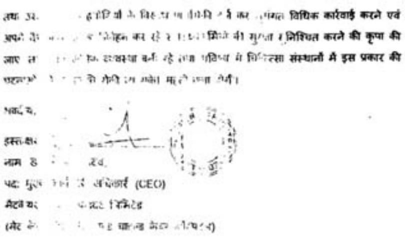

तथा उ[illegible] विधिक कार्रवाई करने एवं [illegible] निश्चित करने की कृपा की जाए [illegible] चिकित्सा संस्थानों में इस प्रकार की [illegible]

भवदीय,

हस्ताक्षर:

नाम: [illegible]

पद: मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO)

मैटकेयर [illegible] लिमिटेड

(मैट केयर [illegible])

pharmacology and forensic medicine, to report within 15 days.

3. A hearing for the family and examination of CCTV footage, post-mortem and forensic reports, drug charts, nursing notes, pharmacy registers, duty rosters and billing records.

4. The complete certified medical record, which medical-ethics regulations require within 72 hours of a request.

5. Verification of every attending doctor's

6.

7. qualification, a physical inspection, and consideration of suspending the hospital's registration.

8. An explanation from the committee members and departmental action.

Before the Human Rights Commission, it seeks treatment of the case as a violation of the right to life, monitoring of the fresh inquiry, interim compensation, and protection from harassment through the counter-case.

The Health Department's 1 October order means a second official inquiry is now due from the District Magistrate and Civil Surgeon of Patna. Whether it hears the family, views the CCTV footage and includes obstetric specialists will decide whether the questions raised in this case are finally answered. The police investigation in both cases continues.

The hospital and the doctors named are entitled to the presumption of innocence. The allegations in this report are drawn from the family's FIR and representation and have not been tested in court.

अभी कलम उठाइये

आपके सामने हो रहे भ्रष्टाचार एवं अपराध की खबर की समीक्षा करें और सरकार सहित पुलिस-प्रशासन तक उसको पहुंचाने के लिए केवल सच पत्रिका के साथ जुड़े। खबर की जानकारी इस नम्बर पर दें

सम्पर्क करें:- 9431073769/8340360961

ई-मेलः- **editor.kstimes@rediffmail.com** पर भेजें।

बिहार बाढ़ विशेष

क्या बैकवॉटर इफेक्ट से बाढ़ हुई भयावह ?

● **अमित कुमार**

बिहार में नदियों के जलस्तर में हुई अप्रत्याशित वृद्धि ने कई जिलों में तबाही मचा दी है। विशेष रूप से गंडक नदी ने अपने रौद्र रूप से राज्य के चार प्रमुख स्थानों-बगहा, डुमरियाघाट, रेवा घाट और लालगंज पर अब तक के उच्चतम बाढ़ स्तर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारी जल प्रवाह के कारण गोपालगंज और सारण जिलों में गंडक नदी के दो तटबंध टूट गए हैं, जिससे निचले इलाकों में पानी तेजी से भर रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बाढ़ प्रभावित पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया और अधिकारियों को राहत-बचाव कार्य तेज करने के कड़े निर्देश दिए हैं। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों और वाल्मीकिनगर बैराज से छोड़े गए रिकॉर्ड पानी के कारण बिहार में गंडक नदी का जलस्तर अपने चरम पर पहुंच गया है। राज्य जल संसाधन विभाग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, गंडक नदी ने चार प्रमुख स्थलों पर अपने पिछले सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं और नए उच्चतम बाढ़ स्तर दर्ज किए हैं। जल संसाधन विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार, नदी के जलस्तर में हुई इस बेतहाशा बढ़ोतरी से पुराने रिकॉर्ड पीछे छूट गए हैं। बगहा (पश्चिम चंपारण) में गंडक नदी का जलस्तर 91.25 मीटर दर्ज किया गया, जो 29 सितंबर 2024 के पिछले रिकॉर्ड (90.90 मीटर) से 35 सेंटीमीटर अधिक है। डुमरियाघाट (गोपालगंज) में नदी का जलस्तर 64.64 मीटर पर पहुंच गया, जिसने जुलाई 2020 के 64.36 मीटर के सर्वकालिक रिकॉर्ड को 28 सेंटीमीटर से पीछे छोड़ दिया। रेवा घाट (मुजफ्फरपुर) में यहां नदी ने 55.55 मीटर का नया उच्चतम स्तर छुआ, जो पिछले रिकॉर्ड से 9 सेंटीमीटर अधिक है। लालगंज (वैशाली) में जलस्तर 52.19 मीटर दर्ज किया गया, जो पुराने रिकॉर्ड से 7 सेंटीमीटर अधिक है। पानी के भीषण दबाव और तेज प्रवाह को सह न पाने के कारण गोपालगंज और सारण जिलों में गंडक नदी के दो रिंग बांध टूट गए। तटबंध टूटने से दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी अचानक घुस गया, जिससे अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हजारों एकड़ में लगी फसलें जलमग्न हो गई हैं और ग्रामीण अपने मवेशियों व सामान के साथ ऊंचे स्थानों और एनएच की ओर पलायन करने को मजबूर हैं। बाढ़ के गहराते संकट को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आपदा प्रबंधन और जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और निर्देश दिए कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को पूरी तरह अलर्ट रखा जाए। प्रभावित परिवारों के बीच सूखी राहत सामग्री, पीने का शुद्ध पानी और दवाइयां तुरंत पहुंचाई जाएं। क्षतिग्रस्त तटबंधों की मरम्मत के लिए आपातकालीन कार्य युद्धस्तर पर शुरू किए जाएं। बाढ़ राहत शिविरों और

सामुदायिक रसोई का संचालन बिना किसी बाधा के जारी रहे। जल संसाधन विभाग के अभियंताओं की टीम चौबीसों घंटे तटबंधों की निगरानी कर रही है। वैशाली, मुजफ्फरपुर, सारण और गोपालगंज के जिला प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है, क्योंकि गंडक का पानी अब तेजी से गंगा नदी की ओर बढ़ रहा है, जिससे पटना और आसपास के गंगा तटीय इलाकों में भी जलस्तर बढ़ने की आशंका गहरा गई है।

गौरतलब है कि बिहार के फिलहाल 15 जिलों में करीब 50 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। इस बार सामान्य से 27 प्रतिशत कम बारिश के बावजूद राज्य में आई बाढ़ से एक बार फिर यह बहस तेज हो गई है कि क्या नेपाल की त्रिशूली और भोटेकोशी नदियों में अचानक आई बाढ़ का सीधा असर बिहार की नदी तंत्र पर पड़ा, जिससे स्थिति गंभीर हुई या फिर क्या गंगा, कोसी व अन्य नदियों में जमे गाद (सिल्ट) की वजह से 'बैकवॉटर इफेक्ट' के कारण राज्य में बाढ़ की स्थिति भयावह हो गई। इस वर्ष बिहार में बाढ़ के दौरान गंगा बक्सर से लेकर भागलपुर तक खतरे के लाल निशान से तो ऊपर रही ही, गंगा ने पटना के गांधी घाट पर 10 साल पुराना तो भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में पांच साल पुराना अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। गंगा, कोसी, महानंदा, पुनपुन, गंडक, बूढ़ी गंडक, घाघरा, बागमती, सोन व सरयू उफान पर रहीं। जगह-जगह सुरक्षा बांध टूट गए या फिर पानी ओवरफ्लो कर गया। पटना, भोजपुर, पूर्णिया, भागलपुर, मधेपुरा, खगडिया, कटिहार, मुंगेर, वैशाली, सारण, समस्तीपुर, लखीसराय, बक्सर, अरवल व बेगूसराय जिले की 49136 लाख आबादी बाढ़ की चपेट में आ गई। हालांकि, अब धीरे-धीरे पानी कम होने लगा है, लेकिन लोगों को अब यह चिंता सता रही कि पानी तो उतर जाएगा, पर गृहस्थी की गाड़ी पटरी पर कैसे आएगी। घर के चूल्हे कैसे जलेंगे। बेटी की शादी के

लिए घर में रखा अनाज तो बर्बाद हो चुका है, अब उसका इंतजाम कैसे होगा? कई लोगों को उम्मीद थी कि इस बार फसल अच्छी होगी, तो उसे बेचकर बेटे को पढ़ने के लिए शहर भेजेंगे, लेकिन इस भयावह बाढ़ ने पूरी फसल ही चौपट कर दी। अब शायद ही बेटे को पढ़ने के लिए शहर भेजा जा सकेगा।

विदित हो कि जब नदी के पानी के प्राकृतिक रूप से बहने की दिशा में कोई बाधा आती है, तो आगे बढ़ने की बजाय पानी पीछे की तरफ लौटने लगता है। इससे उसका जलस्तर बढ़ जाता है। इस स्थिति को ही हाइड्रोलॉजी (जल विज्ञान) में 'बैकवॉटर इफेक्ट' कहा जाता है। गंगा में मिलने वाली सहायक नदियों का पानी सामान्य तौर पर इसमें समा जाता है, किंतु इस बार गंगा ही हाई फ्लड लेवल (एचएफएल) पर या उसके पार थी। इसलिए उसने जगह-जगह पर गंडक, कमला, कोसी व बागमती जैसी सहायक नदियों के पानी को आगे बढ़ने से रोक दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि गंडक, बूढ़ी गंडक जैसी इसकी सहायक नदियों का पानी पीछे लौटने लगा, जिससे कई जिलों में बाढ़ आ गई। बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश सहित ऊपरी इलाकों में हुई बारिश ने भी गंगा के जलस्तर को प्रभावित किया। इस बार गंगा के हाई फ्लड लेवल से अधिक पर पहुंचने में काफी हद तक सिल्ट का भी योगदान है। बांध -बराज नदियों के प्राकृतिक बहाव को रोकते हैं। इससे पानी के साथ आ रहा सिल्ट आगे बढ़ने की बजाय तलहटी में जमा होता जाता है। नदी जितनी अधिक उथली होगी, उसका जलस्तर उतना ही तेजी से बढ़ेगा। गंगा का भी यही हाल है। इसलिए तो अब फरक्का बराज की

प्रासंगिकता पर बात हो रही है। बिहार के पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने भी इस साल की बाढ़ को 'मैन मेड डिजास्टर' बताते हुए फरक्का बराज और नदी प्रबंधन पर सवाल उठाए हैं। साथ ही, उन्होंने कोसी पर हाई डैम बनाने की मांग की। उन्होंने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य के 22 जिलों के करीब 56 लाख लोग बाढ़ की वजह से परेशानी झेल रहे हैं। इस गंभीर स्थिति के बावजूद केंद्र सरकार की ओर से अपेक्षित मदद नहीं मिल रही है।

नदियों में सिल्ट जमा होना कोई नई बात नहीं है। यह बिहार की पुरानी समस्या रही है। इसके लिए राज्य में कोई स्पष्ट और अलग नीति मौजूद नहीं थी। लेकिन, अब बिहार सरकार ने कैबिनेट की बैठक में बिहार जलस्त्रोत पुनर्स्थापन एवं गाद प्रबंधन नीति, 2026 को मंजूरी दे दी है। आजादी के बाद से देश में काफी खर्च किया गया, किंतु कभी भी सिल्ट को बाढ़ को बदतर बनाने और इसके समाधान से जोड़ कर नहीं देखा गया। सिल्ट की वजह से ही 1954 में बाढ़ नीति बनने के बाद से अब तक बिहार में बाढ़ संभावित क्षेत्र का रकबा काफी बढ़ गया। हर साल हम यह त्रासदी झेल रहे। उम्मीद है कि नीति को मंजूरी मिलने से सरकार अब एक रोडमैप बनाकर काम करेगी। वही खान व भूतत्व विभाग द्वारा मानसून के बाद राज्य में गंगा, कोसी व गंडक समेत 19 नदियों की तलहटी में जमा गाद निकाले जाएंगे। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार, सैटेलाइट मैपिंग तथा हाइड्रोलॉजिकल सर्वे के जरिए एक से तीन मीटर मोटी सिल्ट वाले हिस्सों की पहचान की जाएगी। जांच के बाद अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर इसे नीलाम किया जाएगा।

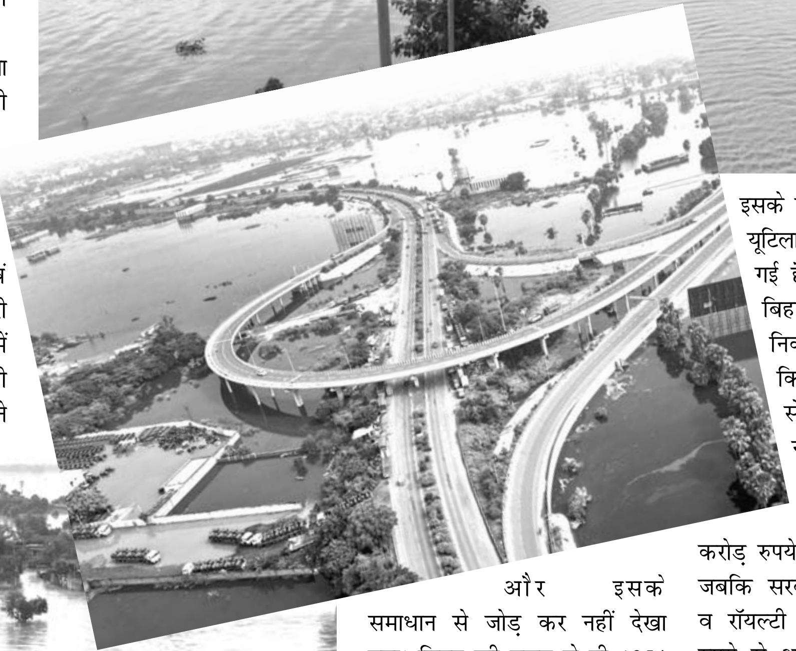

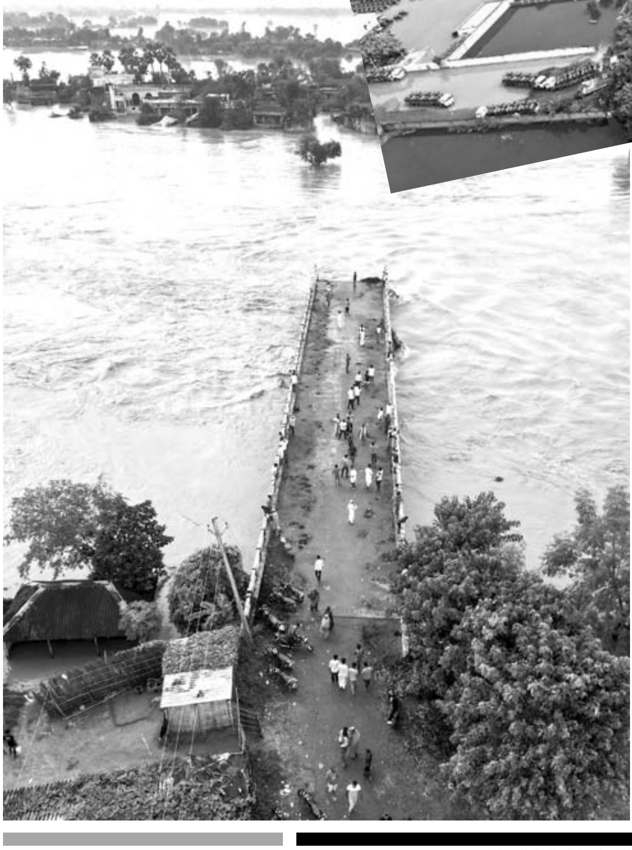

इसके लिए सरकार द्वारा सिल्ट यूटिलाइजेशन टास्क फोर्स बनाई गई है। पहले चरण में उत्तर बिहार की नदियों से सिल्ट निकालने का काम शुरू किया जाएगा। इस योजना से राज्य सरकार द्वारा नदियों व नहरों की सफाई पर खर्च किए जाने वाले सालाना औसतन 1100 करोड़ रुपये की सीधी बचत होगी, जबकि सरकार को परमिट शुल्क व रॉयल्टी से करीब 350 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त होगा। वहीं, करीब 13000 लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। इसके अलावा, सिल्ट हटने से राज्य में 12 हजार किलोमीटर लंबी नहर प्रणालियों में अंतिम छोर तक पानी पहुंच सकेगा। नदियों, जलाशयों व बराजों से निकाले गए गाद का उपयोग रेलवे, सडक, सिंचाई, बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों, भवन निर्माण और निचले इलाकों में भराई के लिए किया जाएगा। इससे इन कार्यों के लिए उपजाऊ मिट्टी के इस्तेमाल में कमी आएगी, जिससे खेतों को बचाया जा सकेगा। नदियों, जलाशयों या बराजों की जलधारण व जलवाहन क्षमता बढ़ेगी, जिससे नदी का प्रवाह अविरल बना रह सकेगा।

● ब्रजेश दूबे

बागेश्वर धाम के प्रसिद्ध कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के एक बयान ने पश्चिम बंगाल के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हलकों में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। हावड़ा में एक धार्मिक सभा के दौरान दुर्गा पूजा पंडालों के पास मांसाहार करने वालों को 'पाखंडी' बताने और उनके बहिष्कार की अपील के बाद पूरे राज्य में तीखा विरोध देखने को मिल रहा है। इस विवाद ने बंगाल की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, खान-पान की विविधता और उत्तर भारत बनाम बंगाल की धार्मिक मान्यताओं के फर्क को एक बार फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया है। हुआ यूं कि हावड़ा में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा था, 'मुझे पश्चिम बंगाल की एक बात पसंद नहीं है। दुर्गा पूजा पंडालों के पीछे मांसाहारी भोजन खाया जाता है, गंदा भोजन पकाया जाता है। इस नवरात्रि, कोलकाता के हिंदुओं को जागना चाहिए और ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। वे धार्मिक नहीं कहे जा सकते, वे पाखंडी हैं।' इस बयान के सामने आते ही सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर तक आक्रोश की लहर दौड़ गई। कोलकाता पुलिस ने कथावाचक के खिलाफ कम से कम 5 कानूनी शिकायतें दर्ज कराई गई हैं, जिनमें सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और बंगाली समाज को बांटने का आरोप लगाया गया है। शाश्वत बासु (उपाध्यक्ष, फोरम फॉर दुर्गोत्सव) ने कहा कि कोई बाहरी व्यक्ति जो चाहे कह सकता है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि हम हमेशा की तरह इस बार भी पूरी भव्यता के साथ पूजा का आयोजन करेंगे। सभामंच पर बैठी जनता द्वारा मोबाइल फ्लैशलाइट जलाना यह दर्शाता है कि वे बंगाल की जड़ों और समृद्ध संस्कृति से कितने अनभिज्ञ हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल में राजनीति में पांव जमा रही भाजपा के लिए यह बयान एक बड़ा झटका साबित हुआ। कुछ ही दिन पहले राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने शास्त्री के सम्मान में रात्रिभोज दिया था और राज्य भाजपा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य उनके सामने नतमस्तक दिखे थे। लेकिन जनता का मिजाज भांपते ही भाजपा ने इस बयान से पूरी तरह किनारा कर लिया।

उल्लेखनीय है कि उत्तर भारत में नवरात्रि संयम, तपस्या और सात्विक रहने की मांग करती है, जहां देवी को एक सर्वशक्तिमान शक्ति के रूप में

पूजा जाता है। इसके विपरीत, बंगाल में देवी दुर्गा 'उमा' यानी परिवार की प्रिय बेटी हैं, जो अपने बच्चों (कार्तिकेय, गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती) के साथ साल में एक बार अपने मायके आती हैं। किसी बेटी के घर आने पर उसके पसंदीदा व्यंजनों जिसमें मछली और मटन शामिल हैं, से उसका स्वागत करना बंगाली परंपरा का अभिन्न अंग माना जाता है। वही कोलकाता और बंगाल के मीट व मछली विक्रेताओं के अनुसार, पूरे वर्ष में दुर्गा पूजा की नवमी का दिन उनकी सबसे अधिक बिक्री का दिन होता है। यह वह समय होता है जब उत्तर भारत में नवरात्रि के समापन पर पूरी तरह सात्विक माहौल होता है, जबकि बंगाल में महाभोग और दावतों का दौर चलता है।

इतिहासकार याद दिलाते हैं कि बंगाल का समाज अपने खान-पान पर किसी भी बाहरी या राजनीतिक आदेश को कभी स्वीकार नहीं करता। 1960 के दशक में तत्कालीन कांग्रेस मुख्यमंत्री प्रफुल्ल चंद्र सेन ने खाद्य संकट के दौरान बंगाली जनता से चावल और मछली खाने का आग्रह किया था। जनता ने इसे अपनी जीवनशैली में हस्तक्षेप माना, जिससे उपजे असंतोष के कारण 1967 के चुनावों में कांग्रेस की ऐतिहासिक हार हुई और राज्य में वामपंथी राजनीति के उभार का रास्ता साफ हुआ।

गौरतलब है कि दुर्गा पूजा के दौरान मांसाहारी भोजन को लेकर दिए गए बाबा बागेश्वर धाम के

प्रमुख धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के बयान के बीच पश्चिम बंगाल में मछली भोग को लेकर राजनीतिक और सांस्कृतिक बहस तेज हो गई है। इसी बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का कालीघाट मंदिर में पारंपरिक मछली भोग ग्रहण करने का वीडियो सामने आया है। शुभेंदु अधिकारी कौशिकी अमावस्या के अवसर पर कोलकाता के सदियों पुराने कालीघाट मंदिर पहुंचे थे। यहां उन्होंने मां काली की पूजा-अर्चना की और मंदिर की पारंपरिक परंपरा के अनुसार मछली और पुलाव का भोग ग्रहण किया। सामने आए वीडियो में उनकी थाली में बड़ी मछली का सिर, तली हुई मछली और बासंती पुलाव दिखाई दे रहा है। यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब बाबा बागेश्वर यानी धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बंगाली हिंदुओं से दुर्गा पूजा के दौरान मांसाहारी भोजन से बचने की अपील की थी। शास्त्री ने दुर्गा पूजा के दौरान मांसाहारी भोजन जारी रखने वालों को लेकर कड़ी टिप्पणी भी की थी और ऐसे लोगों को 'पाखंडी' बताया था। उनके इस बयान के बाद पश्चिम बंगाल में राजनीतिक बहस शुरू हो गई। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मानना है तो मानें, नहीं तो नहीं। कालीघाट मंदिर में पत्रकारों के सवाल पर शुभेंदु अधिकारी ने बाबा बागेश्वर के बयान पर कहा कि किसी संत ने अपनी राय व्यक्त की

है। "जो इसे मानना चाहते हैं, वे मानेंगे और जो नहीं मानना चाहते, वे नहीं मानेंगे।" अधिकारी ने अपनी धार्मिक परंपराओं का उदाहरण देते हुए कहा कि वे सनातनी हिंदू हैं। महाअष्टमी के दिन मां दुर्गा की पूजा के दौरान वे सात्विक भोजन करते हैं और कार्तिक महीने में भी सात्विक भोजन लेते हैं। वहीं, मां काली को अर्पित किए जाने वाले बकरे के मांस जैसे प्रसाद को भी वे धार्मिक परंपरा के अनुसार ग्रहण करते हैं। ज्ञात हो कि कालीघाट मंदिर में मछली पारंपरिक भोग का हिस्सा रही है। मंदिर की धार्मिक परंपराओं में कुछ अवसरों पर मछली के साथ बलि से जुड़े मांसाहारी भोग का भी उल्लेख मिलता है। इसी वजह से शुभेंदु अधिकारी के मछली भोग ग्रहण करने को उनके समर्थक बंगाल की स्थानीय धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा से जोड़कर देख रहे हैं। इस पूरे विवाद ने अब सिर्फ शाकाहार और मांसाहार के सवाल को नहीं, बल्कि बंगाली पहचान और धार्मिक परंपराओं की व्याख्या को भी राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई की ओर से भी यह तर्क दिया गया है कि बंगाल में लोग लंबे समय से मछली और मांस का सेवन करते आए हैं और खान-पान को लेकर फैसला लोगों को खुद करना चाहिए। बीजेपी नेता समिक भट्टाचार्य और पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी अधिकारी के कालीघाट में पारंपरिक मछली भोग लेने का समर्थन किया है। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की टिप्पणी को लेकर पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन की खबरें भी सामने आई हैं। इससे पहले सुवेंदु अधिकारी ने कथित तौर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान शास्त्री की तस्वीरें जलाए जाने को लेकर कोलकाता पुलिस आयुक्त से कार्रवाई करने को कहा था। अब यह विवाद इस बड़े सवाल से जुड़ गया है कि बंगाल की धार्मिक परंपराओं को कौन और किस आधार पर परिभाषित करेगा? कालीघाट का मछली भोग इस बहस में बंगाल की अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का उदाहरण बनकर सामने आया है।

The encounter between spiritual master Neem Karoli Baba and American psychologist Richard Alpert, later known as Ram Dass, is one of the most widely discussed episodes in the spiritual teacher's life. The incident, said to have taken place in 1967, reportedly became a turning point for Alpert, who was searching for answers about consciousness beyond the effects of psychedelic drugs.

Richard Alpert's Search for Higher Consciousness

Before travelling to India, Alpert was a psychology professor at Harvard University and had worked with fellow academic Timothy Leary on research involving psychedelic substances such as LSD. Alpert was fascinated by the altered states of consciousness produced by psychedelics. He believed that LSD could temporarily give a person an experience resembling higher consciousness or samadhi. Yet the experience left him with a deeper question: Could someone reach such a state without taking drugs and remain there permanently? That question eventually led him to India, where he hoped to find a spiritual teacher who could help him understand consciousness from a different perspective.

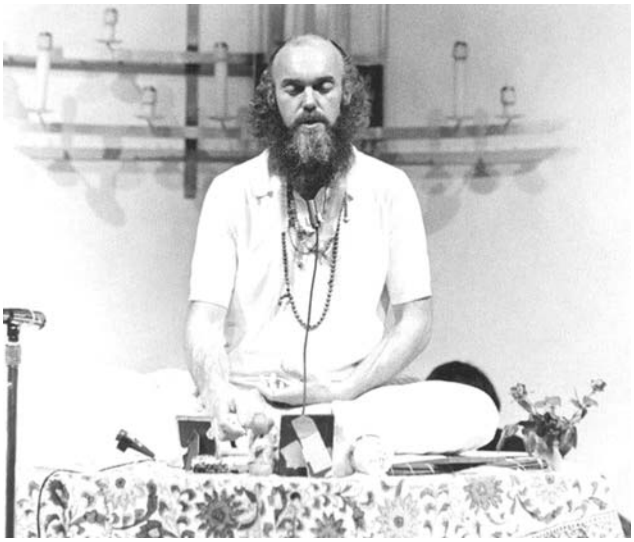

The Meeting With Neem Karoli Baba

Alpert met Neem Karoli Baba at Kainchi Dham in Uttarakhand. Although Alpert was impressed by the spiritual master, he continued to approach his experiences with a questioning and analytical mind. According to Ram Dass's accounts, Neem Karoli Baba unexpectedly asked him whether he had “that medicine”. Alpert was surprised because he had not openly discussed the LSD he was carrying. Alpert showed him the LSD tablets. What happened next left the American psychologist extremely anxious.

Neem Karoli Baba took three doses of the drug at once. Alpert believed the quantity was extraordinarily high and feared that the spiritual master could suffer a serious reaction. He reportedly watched Baba closely, expecting the effects of the powerful psychedelic to appear.

The Reaction That Never Came

According to Alpert's later account, however, Neem Karoli Baba showed no apparent signs of the expected LSD effects. He continued talking and laughing and went about his activities normally. As the hours passed without the reaction Alpert anticipated, the experience challenged his understanding of the relationship between drugs and altered consciousness. The episode prompted Baba to explain that psychedelic substances could provide a temporary glimpse of another state of consciousness but could not permanently establish a person in that state.

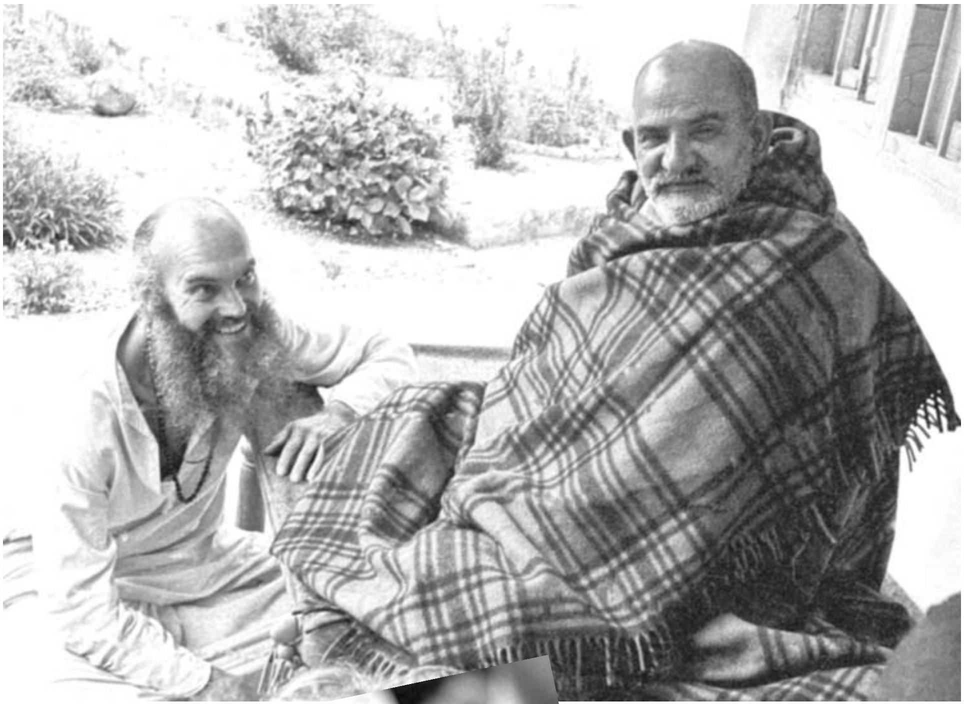

The deeper spiritual path, according to the teaching attributed to him, lay in love, devotion, meditation and remembrance of God, rather than dependence on an external substance.

A Turning Point for Richard Alpert

The experience had a profound impact on Alpert. He began moving away from his earlier search for spiritual experiences through psychedelics and towards meditation and devotional practices. He later became widely known as Ram Dass, embracing a spiritual path influenced by Neem Karoli Baba and Indian traditions of bhakti and meditation.

Ram Dass went on to document his spiritual transformation in his influential book “Be Here Now”, first published in 1971. The book became an important work in the Western spiritual movement and introduced millions of readers to Indian philosophy, meditation and the teachings associated with Neem Karoli Baba. For Ram Dass, the LSD episode represented more than a strange encounter with a spiritual master. It became a symbol of his transition from seeking temporary altered states through drugs to pursuing lasting spiritual awareness through devotion and inner practice.

✯ पुलिस की जांच में कमी पकड़ने के बाद Cross Examination में पुलिस अधिकारी से पूछे जाने वाले FIR और सूचना से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल क्या हैं?

☞ आपको घटना की सूचना किस समय प्राप्त हुई थी?

☞ सूचना प्राप्त होते ही कोई GD/DD रोजनामचा लिखा है?

☞ आपने घटनास्थल के लिए रवाना होने का समय रिकॉर्ड किया है?

☞ FIR दर्ज होने के पहले आपको घटना के बारे में कौन सी सूचना मिली थी?

☞ क्या FIR करने वाला व्यक्ति घटनास्थल पर मौजूद था?

☞ FIR में बताई गई घटना और आपकी जांच में साम्य कोई घटना में अंतर है?

☞ FIR में किस आधार पर नाम दर्ज किया गया था?

☞ FIR में बटना का समय और आपकी जांच में सामय समय एक है?

☞ FIR में दी गई पूरी जानकारी क्या आपके जांच में दर्ज किया?

❖ **घटनास्थल से जुड़े सवाल :-**

☞ आप घटनास्थल पर किस समय पहुंचे?

☞ घटनास्थल पर पहुंचने में कोई देरी का कारण था?

☞ आपने घटनास्थल का निरीक्षण किसके सामने किया?

☞ क्या घटनास्थल की फोटोग्राफी/बीडियोग्राफी करवाई गई?

☞ क्या आपने घटनास्थल का नक्शा मौके पर बनाया तैयार किया?

☞ नक्शे में सभी महत्वपूर्ण स्थानों को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है?

☞ घटनास्थल से कोई फिंगरप्रिंट या अन्य वैज्ञानिक सबूत मिला?

☞ घटनास्थल से मिले सामान को किसने कब्जे में लिया?

☞ क्या उस समान की सील और मुहर का सही रिकॉर्ड है?

☞ क्या आपने घटनास्थल की सुरक्षित रखने के लिए कोई व्यवस्था की थी?

❖ **महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत :-** पुलिस के सामने किया गया Confession स्वत: अदालत में उपयोग के लिए, ADMISSIBLE नहीं होता। हाँ, अगर घटना से कोई नया तथ्य/सबूत बरामद हो, तो सूचना का वह हिस्सा ADMISSIBLE हो सकता है!

❖ **गवाहों के बयान से जुड़े सवाल :-**

☞ आपने घटना के प्रत्यक्षदर्शियों के बयान कब दर्ज किए?

☞ क्या सभी गवाहों के बयान एक ही दिन दर्ज किए गए?

☞ किसी गवाह ने घटना के संबंध में पहले क्या आपको बताया था?

☞ क्या गवाह के बयान में कोई नई महत्वपूर्ण बात सामने आई?

☞ क्या आपने गवाह के पूर्व बयान और न्यायालय में दिए गाए बयान की पुष्टि की?

☞ क्या किसी गवाह ने पुलिस को ऐसे तथ्य बताए जो आपकी केस डायरी में दर्ज नहीं हैं?

❖ **FIR दर्ज करने वाला व्यक्ति घटनास्थल पर :-**

☞ क्या आपने किसी स्वतंत्र व्यक्ति का बयान दर्ज किया?

☞ क्या किसी गवाह ने आपको घटना स्थल से दूर पुलिस के हस्तरित पर कोई बात बताई?

☞ क्या आपने गवाहों के आपसी संबंध और संभावित पक्षपात की जांच की?

कानूनी सलाह

शिवानंद गिरि
(अधिवक्ता)
Ph.- 9308454485
7004408851
E-mail :-
shivanandgiri5@gmail.com

❖ **आरोपी और कथित Confession :-**

☞ आरोपी की पुलिस ने कब और कहाँ गिरफ्तारी की? 30. गिरफ्तारी के समय उसके परिजनों को सूचित किया गया?

☞ क्या गिरफ्तारी की पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड की गई?

☞ क्या आरोपी ने पुलिस के सामने कोई कथित कबूलनामा किया?

☞ क्या उस कचित confession की स्वतंत्र पुष्टि करवाई गई?

☞ क्या confession के आधार पर कोई नया तथ्य या सबूत बरामद हुए?

☞ बरामदगी से पहले पुलिस को उस सबूत के बारे में जानकारी थी?

☞ काचित disclosure/recovery memo में आरोपी के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान दर्ज है?

☞ क्या बरामदगी के समय कोई स्वतंत्र गवाह मौजूद था?

❖ **हथियार बरामदगी से जुड़े सवाल :-**

☞ हथियार/वक्तु कहाँ और किस स्थिति में बरामद हुई?

☞ बरामदगी के समय कितने पुलिस अधिकारी मौजूद थे?

☞ क्या हथियार या वस्तु का अन्वषण/जांच रिकॉर्ड है?

☞ उस हथियार की FSL भेजा गया था?

☞ FSL रिपोर्ट में हथियार और सबूत के बीच कोई बैज्ञानिक संबंध स्थापित हुआ?

☞ हथियार को किस किसने सील किया?

☞ सील किसके पास सुरक्षित रही?

☞ जांच डायरी में बरामदगी से जुड़ा सही जिक्र है?

☞ बरामदगी में FSL तक भेजे जाने के दौरान उसकी chain of custody पूरी रिकॉर्ड है?

❖ **मेडिकल और वैज्ञानिक जांच :-**

☞ क्या आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताए गए चोट और समय की पुष्टि की?

☞ क्या डॉक्टर ने यह स्पष्ट किया कि मृत्यु का कारण और कधित हथियार आपस में compatible है?

☞ क्या आपने CCTV, CDR, location lata, fingerprints, DNA या अन्य वैज्ञानिक सबूतों की जांच की?

☞ क्या आपकी केस डायरी में जांच के दौरान सभी महत्वपूर्ण तथ्यों और निपर्वो का स्पष्ट है?

आवश्यकता
अगर आप में है आत्मविश्वास और तीव्र इच्छा, तो मौका है इसे पूरा करने का....
बिहार की सबसे लोकप्रिय पत्रिका
केवल सच
और
केवल सच
TIMES
को बिहार के हर जिले, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर संवाददाता, विज्ञापन प्रतिनिधि (डोर टू डोर मार्केटिंग) एवं प्रसार के कार्य के लिए परिश्रमी एवं जुझारू युवक/युवतियों की आवश्यकता है।
योग्यताः-
जिला ब्यूरो
स्नात्तक उतीर्ण
प्रखंड संवाददाता
स्नात्तक/इंटर
पंचायत संवाददाता
स्नात्तक/इंटर/मैट्रिक
विज्ञापन प्रतिनिधी
स्नात्तक/इंटर/मैट्रिक
संपर्क करेः-
पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, कंकड़बाग
पटना-20, मो.- 9431073769, 9955077308

Quality Medicines...
for a Healthier Tomorrow

Trusted • Reliable • Since 1990

WESTERLIN DRUGS PVT. LTD.

(Serving Nation Since 1990)

Our Product Range

- WESTOCITRON
- WESTOCLAV
- WESTOFERON
- WESTOPLEX
- QNEMIC

Safe Effective Affordable

Quality Medicines for Better Life

Our Other Products

- AOJ
- AZIWEST
- DAULER
- MUCULENT
- AOJ-D
- BESTARYL-M
- GAS-40
- MUCULENT-D

Powder & Liquid Manufacturing

Clean & Hygienic Environment

Our Dedicated Team

Syrup Manufacturing

API & Liquid Section

Quality Control Laboratory

Speciality Products

- SEVIPROT
- WESTOMOL
- WESTO ENZYME
- ZEBRIL

WESTERLIN DRUGS PVT. LTD. WD Dispersing Happiness

WESTERLIN DRUGS PVT. LTD.

Industrial area, Fatuha-803201
Dist. Patna, Bihar

E-mail: westerlindrugsprivatelimited@gmail.com

Phone No.: 0162-3500233/2950008

Own Manufacturing Unit | GMP Compliant | Third Party Manufacturing | Partner in Health